बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रतिवेदन 2017–18
कार्यक्रम 2018–19

विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ट संख्या
1.	प्रस्तावना	3 – 4
2.	शैक्षिक आंकड़े	– 5
3.	प्राथमिक शिक्षा	6 – 11
4.	मध्याह्म भोजन	12 – 15
5.	बिहार बाल–भवन 'किलकारी'	16 – 20
6.	जन शिक्षा	21 – 23
7.	माध्यमिक शिक्षा	24 – 28
8.	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड	29 – 30
9.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	31 – 35
10.	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	36 – 38
11.	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	39
12.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	40 – 42
13.	अध्यापक शिक्षा	43 – 44
14.	उच्च शिक्षा	45 – 46
15.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम	47 – 48
16.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम	49 – 50
17.	प्रस्तावित वार्षिक योजना 2017–18 का कार्यक्रम	51 – 60
18.	विभागीय संरचना	61 – 62

-----000-----

प्रस्तावना

भोजन, वस्त्र एवं आवास की आवश्यकता के बाद हम शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं. बल्कि संतुलित आहार, सुविधाजनक वस्त्र, आवास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिये भी शिक्षा आवश्यक है। आधुनिक समय में शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी क्षमताओं का विकास करता है और एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करता है। सार्थक शिक्षा वह है जो हमें सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा प्रदान करती है, सक्षम और विवेकशील इंसान बनाती है।

2017–18 का वर्ष गांधी के चम्पारण सत्याग्रह का 100 वाँ वर्ष है। इसे बिहार सरकार चम्पारण शताब्दी के रूप में मना रही है और गांधी के संदेश को जन–जन तक पहुँचा रही है। गांधीजी कहते थे– शिक्षा सदाचार और निर्मल जीवन का आधार है। सच्ची शिक्षा से कुरीतियों का नाश होता है, चरित्र की शुद्धि होती है। व्यक्ति संस्कार सम्पन्न होता है। वह कहते थे कि जिस परिवर्तन को तुम दुनिया में देखना चाहते हो उसकी शुरूआत खुद से करो क्योंकि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर होता है।

गुणात्मक शिक्षा के लिये माता–पिता, परिवार, समाज शिक्षक, विद्यालय, एवं सरकार प्रयत्नशील है। बिहार जैसे प्रदेश के लिये मानव संसाधन सबसे बड़ी संपदा है। यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं। शिक्षा एवं कौशल सम्पन्न बनाने से ये अपने और समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। इस दिशा में बिहार सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। बिहार की शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुँचने जा रही है। दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के बच्चे, जो हाशिये पर थे, मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। हम शिक्षा को सर्व शिक्षा में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सफल हो रहे हैं।

हमें पूरी संवेदना और समर्पण के साथ लगातार काम करना है। इस क्रम में कमियों को दूर करते हुये आलोचनाओं का सम्मान करते हुये बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। उपनिषद कहता है–

ऊँ सह नाववतु, सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै।

तेजस्वीनावधीतामस्तु माविद्‌विषावहै।।

विधार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर शिक्षा की प्राप्ति के लिये काम करें। सबका जीवन मेधा से पूर्ण हो। परस्पर द्वेष और ईर्ष्या न हो।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 एवं कार्ययोजना 2018–19 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

कुछ महत्त्वपूर्ण शैक्षिक आंकड़े

प्रारंभिक शिक्षा

Ø0	fooj.k	la[;k
	izkFkfed f'k{kk	
1-	izkFkfed fo|ky;	42]630
2-	e/; fo|ky;	28]850
3-	cqfu;knh fo|ky;	391
4-	¼6&13½$ vk;q oxZ ds dqy cPpksa dh la[;k	2]17]48]452
5-	fo|ky; ¼futh fo|ky; lfgr½ esa ukekafdr cPpksa dh dqy la[;k	2]17]19]464
6-	ljdkjh ,oa ljdkjh lgk;rk izkIr fo|ky;ksa esa ukekafdr cPpksa dh la[;k	2]04]84]904
7-	fo|ky; ls ckgj ¼vukekafdr½ cPpksa dh la[;k	1]91]653
8-	ljdkjh izkFkfed ,oa e/; fo|kfy;ksa esa dk;Zjr dqy f'k{kdksa dh la[;k	3]97]408
9-	ldy ukekadu vuqikr ¼GER½ ¼I ls VIII½	99-87
10-	okf"kZd vkSlr Nhtu nj ¼I ls V½	2-64
11-	Nk= f'k{kd vuqikr ¼mifLFkfr ds vk/kkj ij½	38%1
12-	Nk= oxZd{k vuqikr ¼mifLFkfr ds vk/kkj ij½	36%1
13-	izkFkfed Lrj ¼d{kk&V½ ls mPp izkFkfed Lrj ¼d{kk&VI½ eas igqWpus okys cPpksa ds nj ¼Transition Rate½	84.96%
	¼lzksr & fcgkj f'k{kk ifj;kstuk ifj"kn~½	
	ek/;fed f'k{kk	
1	ek/;fed ,oa mPp ek/;fed fo|kfy;ksa dh la[;k	6068
2	ek/;fed d{kkvksa ¼ 9 ls 10½ esa ukekadu	2865460
3	mPp ek/;fed d{kkvksa ¼ 11 ls 12½ esa ukekadu	470840
4	ek/;fed d{kkvksa esa f'k{kdksa dh la[;k	29965
5	mPp ek/;fed d{kkvksa esa f'k{kdksa dh la[;k	11239

6	ldy ukekadu vuqikr ¼GER½	76.8
7	¼NER½	49.03
8	okf"kZd vkSlr Nhtu nj	9.47
9	Retention Rate	90.53
10	Transition Rate	74
11	G P I	1.21
12	Gender Gap	0.8
13	Nk= f’k{kd vuqikr	96:1
14	Nk= oxZd{k vuqikr	124:1
	¼lzksr & fcgkj ek/;fed f'k{kk ifj"kn~½	
enjlk & laLd`r fo|ky;		
1	vuqnkfur Js.kh ds enjls	1942
2	laLd`r fo|ky;	429
v/;kid f'k{kk		
1	v/;kid f'k{kk egkfo|ky;	06
2	ftyk f'k{kk ,ao izf'k{k.k laLFkku	33
3	izkFkfed f'k{kd f'k{kk egkfo|ky;	23
4	ç[kaM v?;kid f'k{kk laLFkku	04
mPp f'k{kk		
1	jkT; esa fo'ofo|ky;	13
2	jkT; esa vdknfe;ksa ,ao laLFkku	13
3	jkT; esa vaxhHkwr egkfo|ky;	262
4	jkT; esa lac) egkfo|ky;	231

<u>fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr½</u>

	o"kZ	lfEefyr		izFke Js.kh esa mŸkhZ.k	f}rh; Js.kh esa mŸkhZ.k	r`rh; Js.kh esa mŸkhZ.k	mŸkhZ.k	dqy
		Nk=	Nk=k					
ek/;fed	**2017**	**866283**	**897188**	**241219**	**470775**	**155017**	**190**	**867201**

ijh{kk	**2018**	**891243**	**878794**	**&**	**&**	**&**	**&**	**&**
b.Vj ijh{kk	**2017**	**172039**	**556639**					
	2018	**719848**	**488130**					

<u>fcgkj esa lk{kjrk nj & tu x.kuk 2011</u>

o"kZ	dqy	iq:"k	efgyk
2011	**63-82**	**73-39**	**53-33**

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत (राज्य योजना) संचालित मुख्य योजनाएँ

- **मुख्यमंत्री पोशाक योजना/ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना**

मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I एवं II के ए0 पी0एल0 छात्र को `400/– की दर से, वर्ग III-V में छात्र/छात्राओं को `500/– एवं वर्ग VI-VIII में नामांकित सामान्य/ए0पी0 एल0 छात्र–छात्राओं को `700/– की दर से एवं वर्ग VI-VIII के एस0 सी0/एस0 टी0 /बी पी0 एल0 छात्रों का टॉप–अप राशि `300/– की दर से `3,71,17,48,800/– (तीन अरब एकहत्तर करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) की राशि जिलों को वितरण हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र/छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है।

- **शैक्षणिक परिभ्रमण**

छात्र–छात्राओं को अपने राज्य में ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने शैक्षणिक परिभ्रमण की व्यवस्था की है। यह राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ज्ञानार्जन की दिशा में एक मनोवैज्ञानिक प्रयास है।

इस योजना के कार्यन्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति के बैंक खाते में प्रति वर्ष `20,000/– की दर से कुल 29225 मध्य विद्यालयों के लिए

`58,45,00,000/– (अन्ठावन करोड़ पैतालीस लाख रूपये मात्र) की राशि स्वीकृत की गयी है।

- **छात्रवृत्ति योजना**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र जिनका परिवारिक आय अधिकतम `1.50 लाख प्रति वर्ष है एवं जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या अधिक है, वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु `1,19,96,31,000/–(एक अरब उन्नीस करोड़ छियानवे लाख एक्तीस हजार रूपये मात्र) की राशि स्वीकृत की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत (केन्द्र प्रायोजित योजना) संचालित मुख्य योजना

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

- वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृत कुल `10558.58 करोड़ के बजट के विरूद्ध भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिसम्बर, 2017 तक क्रमशः `6335.15 करोड़ (कुल बजट का 60%) के विरूद्ध `2505.74 (40%) एवं `4223.43 करोड़ (कुल बजट का 40%) के विरूद्ध `4538.13 करोड़ (107%) उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक `10558.58 करोड़ के बजट के विरूद्ध कुल `7043.87 करोड़ (66.71%) प्राप्त हुआ है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान (कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सहित) में दिसम्बर, 2017 तक कुल `3048.51 करोड़ की राशि व्यय हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त कुल राशि का लगभग 80% है।

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21,420 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 21,264 (99.27%) प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं ।

- सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के अब तक कुल 19,725 लक्ष्य के विरूद्ध 19,625 (99.48%) प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है।

- U-DISE 2016–17 के अनुसार राज्य में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में 2,04,84,899 नामांकन हुआ है।

- यू–डायस के तहत Student Data Management Information System (Student MIS) विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायताप्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार ऑकड़ा प्राप्त कर कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है । इस वर्ष इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से Update करने के उपरान्त Child Tracking के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

- 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र–सापेक्ष दक्षता देकर शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या 1% से भी कम अर्थात 1,91,653 ही रह गई है । वित्तीय वर्ष 2017–18 में 89,108 बच्चों का सीधा नामांकन कराकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, जबकि विशेष

प्रशिक्षण के माध्यम से 63,687 बच्चों को आच्छादित किया गया है एवं शेष विद्यालय से बाहर के बच्चों को आच्छादित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में संधारित बालपंजी को इस शैक्षणिक सत्र में अद्यतन कराया गया है, जिसके आधार पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 का सूत्रण हुआ है ।

- गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए ‘‘मिशन गुणवत्ता’’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित कराने की दिशा में कारगर साबित हुआ है। मिशन गुणवत्ता अन्तर्गत वर्ग I एवं II के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था तथा इन शिक्षकों का ‘‘फलक’’ मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- राज्य द्वारा विकसित ‘‘मूल्यांकन हस्तक 2016’’ के आधार पर वर्ग I - VIII के बच्चों का मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जा रहा है ।

- राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों (सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त) के वर्ग I - VIII में अध्ययनरत् बच्चों का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 5–11 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न कराया गया है। A ग्रेड (81% से अधिक अंक) में 7.4%, ग्रेड B (61% से 80% अंक) में 39.36%, ग्रेड C (41% से 60% अंक) में 41.73%, ग्रेड D (33% से 40% अंक) में 9.27% तथा ग्रेड E (32% से कम अंक) में 3. 48% छात्र–छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। शैक्षिक सत्र 2017–18 में विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन अप्रैल, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं नवम्बर में कराया जा गया है जबकि अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन अक्टूबर में कराया जा चुका है एवं वार्षिक मूल्यांकन मार्च, 2018 में सम्पन्न होगा ।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा I से VIII के लगभग 1,77,48,000 (लगभग 87%) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है।

- प्राथमिक स्तर (कक्षा–V) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–VI) में पहुॅचने वाले बच्चों के दर (Transition Rate) में अपेक्षित सुधार हुआ (वर्ष 2005 में 66.28% से वर्ष 2016–17 में 84.96%)।

- ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड के निर्माण का कार्य चल रहा है एवं लगभग 82% बच्चों का आधार पंजीकरण हो चुका है।

- सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण के लिए बच्चों के खाता का संधारण कराया जा रहा है एवं लगभग 72 लाख बच्चों का बैंक खाता खोला जा चुका है।

- छात्र–वर्ग कक्ष अनुपात (Student Classroom Ratio), जो वर्तमान में उपस्थिति के आधार पर 38:1 है। वर्ष 2017–18 तक कुल 2,97,984 लक्ष्य के विरूद्ध 2,73,846 (92%) वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें से 4,790 वर्गकक्ष का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराया गया है।

- कुल स्वीकृत 16,331 नये प्राथमिक विद्यालय भवन के विरूद्ध 12,708 (78%) भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 2,227 भवन निर्माणाधीन है।

- राज्य के लिए स्वीकृत सभी 535 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग की छीजनग्रस्त बालिकाएँ आवासीय सुविधा के साथ समीपवर्ती मध्य विद्यालयों में कक्षा VI- VIII तक की शिक्षा प्राप्त

कर रही हैं। इन संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कुल 50,208 बालिकाएँ नामांकित है।

- 512 (96%) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें से 11 भवन वर्ष 2017–18 में पूर्ण हुआ है एवं 23 भवन निर्माणाधीन है।

- 500 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) की सभी बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स की तीन विद्याओं यथा– कराटे, ताइक्वांडो एवं वुशु में प्रशिक्षित किया गया।

- विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया गया है, जिसके तहत कुल 2,01,454 सदस्यों का प्रशिक्षण संपन्न कराया गया।

- 84,677 मरम्मती अनुदान के लक्ष्य के विरूद्ध 54,403 विद्यालयों को मरम्मती अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

- 1,04,455 विद्यालयों के लिए स्वीकृत विकास अनुदान के विरूद्ध 74,801 विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराया गया है।

- निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नये स्क्रिप्ट बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा निषेध विषय के साथ ''शिक्षा अधिकार यात्रा'' के नाम से एक राज्य व्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी 38 जिलों के कुल 5,845 पंचायत आच्छादित हुए हैं।

- सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आच्छादित 06 से 14 आयुवर्ग के विभिन्न कोटि के निःशक्त 2,16,613 बच्चे चिह्नत किये गये हैं।

- राज्य में 5 कृत्रिम अंग एवं अवयव निर्माण केन्द्र (पटना, भागलपुर, पूर्णियाँ, प0 चम्पारण एवं सीवान में एक–एक) का संचालन एवं आवश्यक कृत्रिम अंग एवं अवयवों का वितरण किया गया है।

- राज्य में 37 डे केयर सेन्टर सभी उपयुक्त उपकरणों के साथ संचालित किया जा रहा है।

- अबतक 1,30,713 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराया जा चुका है।

- ब्रेल पुस्तकों के मुद्रण हेतु ब्रेल इम्बोसर स्थापित कर मांग के अनुरूप 1,110 मुद्रित पुस्तकें जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

- श्रवण एवं दृष्टि निःशक्तता से प्रभावित 25–25 बालिकाओं का प्रत्येक जिला के 2–3 के0जी0बी0भी0 (100 सामान्य बालिकाओं के अतिरिक्त) में नामांकन किया गया है। वर्तमान में 112 के0जी0बी0भी0 में 2800 श्रवण/दृष्टि निःशक्त बालिकाओं का नामांकन हुआ है।

- दिनांक 12–15 जून, 2017 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विद्यालय सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन तथा 4 जुलाई, 2017 को राज्य स्तर पर पटना के गाँधी मैदान में विद्यालय सुरक्षा दिवस का आयोजन एवं इस अवसर पर 5,000 (पाँच हजार) बच्चों द्वारा मॉक ड्रिल संपन्न कराया गया है।

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, के सहयोग से राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभिन्न चरणों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित कर दिनांक– 01–15 जुलाई, 2017 तक राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है।

- बिहार दिवस – 2017 (22–24 मार्च) का सफल आयोजन पटना के गाँधी मैदान में किया गया, जिसमें तीन दिनों तक विभिन्न विभागों द्वारा अपने–अपने पंडाल में प्रस्तुति की गई तथा मुख्य मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई।

वित्तीय वर्ष 2017–18 का भावी कार्यक्रम

- शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विशेष गतिविधियाँ।
- विद्यालय से बाहर के बच्चों को की पहचान एवं Tracking कर शिक्षा की मुख्य धारा मे लाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत ।
- शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों का स्व–मूल्यांकन एवं वाह्य मूल्यांकन।
- Mobile App “Bihar Easy School Tracking (BEST)” के माध्यम से प्रारंभिक विद्यालयों का अनुश्रवण ।
- Student Data Management Information System (SDMIS) को अद्यतन एवं Child Tracking System (CTS) का क्रियान्वयन ।

e/;kà Hkkstu ;kstuk

मध्या◊ भोजन योजना राज्य की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं सरकार द्वारा अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों के साथ–साथ तालिमी मरकजों, मदरसों, संस्कृत विद्यालय, राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षण केन्द्रों में उपस्थित होने वाले वर्ग I-VIII के सभी छात्र/छात्राओं को गरमा–गरम पौष्टिक मध्या◊ भोजन उपलब्ध करा कर उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है।

2. **वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि।**

वर्ग	आच्छादित विद्यालयों की संख्या।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक लक्ष्य (छात्र/छात्राओं की संख्या)	उपलब्धि औसत प्रतिदिन लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या।	प्रतिशत उपलब्धि।
प्राथमिक विद्यालय ¼वगZ I-V½	42510	9030199	8849595	98%
मध्य विद्यालय ¼वर्ग VI-VIII½	30447	3781988	3668528	97%

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित वित्तीय लक्ष्य तथा वित्तीय उपलब्धि।

(राशि लाख में)

केन्द्रांश/राज्यांश	स्वीकृत बजट	भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि।	15 दिसम्बर 2016 तक व्यय की गई राशि।	प्रतिशत उपलब्धि।
केन्द्रांश	120621.98	97871.58	90466.48	75%
राज्यांश	69540.95	57247.59	52155.71	75%

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये वित्तीय बजट प्राक्कलन।

(राशि लाख में)

केन्द्रांश/राज्यांश	**वित्तीय बजट प्राक्कलन**
केन्द्रांश	130287.00
राज्यांश	86858.00

5. विभिन्न मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है जो निम्नवत् हैः–

- 01 अप्रैल 2017 से वर्ग I-V के बच्चों के लिए परिवर्तन मूल्य की नयी दर 4. 13 रू0 प्रति छात्र प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए `6.18 प्रति छात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वर्ग I-V के बच्चों के लिए `2.48 तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए `3.71 प्रति छात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ग I–V तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए क्रमशः `1.65 तथा `2.47 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से राज्यांश के रूप में निर्धारित है।

- वर्ग I-V के छात्र/छात्राओं के लिये प्रति छात्र प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्राओं के लिये प्रति छात्र प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न की मात्रा आपूर्ति की जाती है।

- इस राशि से वर्ग I–V के बच्चों को भोजन में प्रतिदिन 450 कैलारी एवं 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन उपलब्ध करना है जबकि वर्ग VI–VIII के बच्चों को भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना है।

- प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में कुल योजना व्यय का 1.8% राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार अपनी आवश्कतानुसार राज्य योजना मद से इस मद में राशि का उपबन्ध करती है।

- भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न हेतु प्रति मीट्रिक टन `3000 तथा इसके अतिरिक्त VAT तथा अन्य कर हेतु 4% राशि निर्धारित है।

- 01 जनवरी, 2017 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालयों तथा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में वर्ग I-V में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्राओं को गरमा–गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। माह नवम्बर, 2017 से पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में एक अंडा/मौसमी फल राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से दिया जा रहा है।

- 01 मार्च, 2008 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग VI-VIII में पढने वाले सभी छात्र/छात्राओं को भी गरमा गरम मध्याहन् भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

- इसके अलावे विद्यालयों में मध्याहन् भोजन तैयार करने वाले प्रत्येक रसोईया को (कुल संख्या–215611) वर्ष के 10 महीनों के लिए प्रतिमाह `1000/– की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। 01 अगस्त, 2015 से `1250 मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 250 रूपये राज्य सरकार की निधि से दिया जाता है।

- llrkg ds N% fnuksa ds fy;s fnuksa ds Øekuqlkj e/;kà Hkkstu dk ehuw fu/kkZfjr gS tSls%&

  (i) सोमवार–चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जी

  (ii) मंगलवार – जीरा चावल + सोयाबीन आलू सब्जी

  (iii) बुधवार – खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा + केला/मौसमी फल

  (iv) वृहस्तपतिवार –चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जी

  (v) शुक्रवार – पुलाव + काबुली चना/लाल चना का छोला+हरा सलाद+मौसमी फल/अंडा

  (vi) शनिवार–खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) +चोखा+केला/मौसमी फल।

- उर्दू विद्यालय शुक्रवार की जगह रविवार को खुला रहता है, विद्यालयों में मेनू शुक्रवार का लागू है।

- उपर्युक्त मीनू में वर्ग I-V के छात्रों के लिए 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम हरी सब्जी, 5 ग्राम खाद्य तेल/वसा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम

सब्जी, 7.5 ग्राम खाद्य तेल /वसा प्रतिदिन प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित है ताकि वर्ग I-V के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रति छात्र 12 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरी उर्जा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 20 ग्राम प्रोटीन, 700 कैलोरी उर्जा के अलावे आयरन, फोलिक एसीड एवं विटामीन–ए जैसे माइक्रोन्यूट्रेन्टस निश्चित रूप से प्राप्त कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त सफाई एवं सुरक्षा संबंधित निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :–

- (क) खाद्यान्न प्राप्ति के पूर्व मात्रा एवं गुणवत्ता की जाँच।(ख) खाद्य सामग्री (तेल, मसाला, नमक) आदि एगमार्क युक्त एवं ताजी हरी सब्जी, खाद्य सामग्री का भंडारण सुरक्षित जगह पर करना (ग) खाना बनाने के पूर्व रसोईया का हाथ, पैर एवं मुँह साबुन से धोना एवं सूती कपड़े से पोछना, भोजन चखने के आधे घंटे के बाद बच्चों को पंक्तिवार बैठाकर परोसना (घ) भोजन खिलाने के उपरान्त रसोई घर एवं बर्त्तनों की साफ–सफाई, बच्चों की उपस्थिति पोषाहार पंजी में संधारित करना (ड़) First Aid Box विद्यालय में रखना, शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों के बीच मध्याहन् भोजन में साफ–सफाई एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

- मध्याहन् भोजन योजना के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु Management Information System (MIS) लागू किया गया है जो मध्याहन् भोजन योजना के Website www.mdmsbihar.org.in पर आमजनों के अवलोकन के लिए भी उपलब्ध है। उक्त सूचना प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं ;
- प्रत्येक माह के उपरान्त, गत माह में व्यय एवं अवशेष राशि की Data Entry प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से आगामी माह के 7वें दिवस तक समाप्त कराया जाता है। तद्पोरान्त माह की 15वीं तिथि तक मदवार विद्यालयों में राशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औसत मासिक व्यय के आधार पर आगामी दो से तीन माह हेतु राशि का हस्तानान्तरण Internet Banking एवं RTGS के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन् भोजन योजना द्वारा किया जाता है।

- MIS के माध्यम से वैसे विद्यालयों की सूची प्राप्त करना जिन्हें राशि एवं खाद्यान्न हस्तानान्तरित नहीं की गई है अथवा जहाँ मध्याहन् भोजन योजना किसी कारण से बाधित है।
- Interactive Voice Response System (IVRS) के द्वारा मध्याहन् भोजन योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण करने की व्यवस्था है। IVRS प्रणाली द्वारा मध्याहन् भोजन

योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण नियमित किया जा रहा एवं जहाँ त्रुटि पायी जाती है सुधार के उपाय तुरंत लिए जाते हैं।

- मध्याहन् भोजन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सूचना निदेशालय के टॉल फ्री नं0 1800–345–6208 के माध्यम से शिकायत प्राप्त कर संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

- प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक कार्य दिवस, प्रत्येक उपस्थित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण मध्याहन् भोजन खिलाने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर इस योजना के लक्ष्यों को प्रचारित किया गया है।

- बीच–बीच में मध्याहन् भोजन योजना अन्तर्गत रसोई–सह–भंडारगृह के साफ–सफाई एवं सुरक्षा हेतु सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाता हैं। राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/ कर्मियों के द्वारा निरीक्षण कर सुधार की कार्रवाई की जाती हैं।

- राज्य सरकार के स्तर से 54385 विद्यालयों में गैस चूल्हा एवं अग्निशामक यंत्र उपलब्ध करा दिया गया है। शेष के लिए कार्रवाई की जा रही हैं।

- राज्य सरकार के स्तर से रसोईया–सह–सहायक के कार्यकाल में मृत्यु होने के कारण 230 आश्रितों को चार लाख रू0 की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

<u>बिहार बाल–भवन 'किलकारी'</u>

- 0र्ष 2008 में 'किलकारी' बिहार बाल भवन की स्थापना हुई। यह संस्था बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए विविध कार्यक्रम–कियाकालाप चलाती हैं।
- 08 से 16 वर्ष के बच्चों को 22 प्रकार की गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग अठारह हजार बच्चों तक किलकारी की पहुँच हो चुकी है।

- पटना के अलावे अन्य तीन प्रमण्ड मुख्यालयों दरभंगा, भागलपुर एवं गया में भी किलकारी की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

- **गया प्रमण्डल–** हरिदास सेमीनरी इंटर कॉलेज परिसर, सरकारी बस अड्डा के समीप, दक्षिणी गाँधी मैदान, गया।

- **दरभंगा प्रमण्डल–** +2 रामानंदन मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।

- **भागलपुर प्रमण्डल**– जगलाल उच्च विद्यालय, कंपनीबाग, आशानंदपुर, भागलपुर।

- **विद्यालयों में किलकारी की पहुँच**– पटना में सात विद्यालयों एवं अन्य सात जिलों में– गया में तीन, भागलपुर में दो (नौगछिया, कटिहार), दरभंगा, कैमुर, जमुई, मुजफ्फरपुर, सहरसा को लेकर कुल 18 सरकारी विद्यालयों में किलकारी की गतिविधियाँ बाल केन्द्र के रूप में प्रतिदिन तीन घंटे के लिए स्कूल संचालन के पूर्व या पश्चात् संचालित की जाती है।

- **स्लम में किलकारी–** स्लम के जो बच्चे किलकारी नहीं पहुँच पाते हैं उनके लिए स्लम में केन्द्र का संचालन एवं मोबाईल वैन के द्वारा गतिविधियाँ की जा रही है। इन गतिविधियों का लाभ रैगपिकर्स बच्चों (कचरा बिनने वाला) को भी मिल रहा है। वर्तमान में स्लम के अन्दर आठ केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए किलकारी संस्था को ISO 9001: 2015 का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है।

- बच्चों का बैंक 'गुल्लक' में अबतक 3606 सदस्य जुड़े तथा कुल लेन–देन `65,19,374.00 है, जिसका इस वर्ष लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने की प्रक्रिया में है।

- वर्ष 2017 से बिहार से प्रकाशित होने वाली बच्चों की मासिक पत्रिका 'बाल किलकारी' का प्रतिमाह प्रकाशन एवं वितरण किया जा रहा है।

- बच्चों की उपलब्धियों पर आधारित किलकारी कैलेण्डर–2018 का निर्माण किया गया है।

fdydkjh ds cPpksa dh miyfC/k;k¡

- भारत–श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडन्टिन प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर बॉल बैडमिन्टन टीम की ओर से बालक वर्ग में किलकारी के रविरंजन कुमार ने भाग लिया तथा शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 3–0 से पराजित किया।

- देवाशिष मखीजा की हिन्दी फिल्म 'भोंसले' में किलकारी के विराट वैभव मुख्य बाल भूमिका में नजर आए।

- गणितज्ञ आनंद कुमार की जीवनी पर आधारित फिल्म 'सुपर–30' के लिए किलकारी के 13 बच्चों का चयन हुआ। फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में सुप्रसिद्ध अभिनेता 'ऋतिक रौशन' किलकारी के बच्चों के साथ दिखेंगे।

- चिल्ड्रेन्स फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी, इंडिया (CFSI) द्वारा आयोजित 20वीं अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 'द गोल्डेन एलिफैन्ट' में 'लिटिल डायरेक्टर' श्रेणी में तीन बाल फिल्में 'मैं भी इन्सान हूँ', 'एहसास' एवं 'द प्राइसलेस फ्लावर' का चयन एवं प्रदर्शन किया गया।

- 'नई सदी की चमक' लघुकथा पुस्तक में सबसे कम आयु की लघुकथाकार सरिता रानी की रचना प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली पुस्तक मेला में हुआ।

- बच्चों की पेंटिंग 'चकमक' पत्रिका में प्रकाशित हुई। 'गुलजार' साहब द्वारा लिखित कविता पर आधारित किलकारी के पेंटिंग विधा के बच्चों का 'चकमक' पत्रिका के 'मेरा पन्ना' कॉलम में बच्चों की रचनाएँ प्रकाशित हुई।

- इस पत्रिका में प्रियंतरा भारती एवं विष्णु कुमार की दो कविताएँ एवं प्रकाशित। युवराज सिंह, अभिनंदन गोपाल की रचनाएँ प्रकाशित हुई।

- राष्ट्र स्तरीय सांइस मॉडल मेंकिंग में 'जिज्ञासा–2018' प्रतियोगिता में किलकारी के रवि रौशन टुडू एवं गौतम कुमार को तृतीय पुरस्कार मिला।

- कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किलकारी के बॉल बैडमिन्टन की राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनल कुमारी एवं निशांत कुमार को 'बिहार खेल सम्मान' दिया गया।

- स्कूल गेम्स राज्य स्तरीय ताईक्वांडो प्रतियोगिता, गोपालगंज में मुस्कान कुमारी को स्वर्ण पदक।

- अखिल भारतीय प्रगतिशील लघुकथा मंच द्वारा बेहतरीन लघुकथा लेखन के लिए रानी कुमारी एवं सरिता रानी को गोवा के राज्यपाल के हाथों 'अंकुर सम्मान' प्राप्त हुआ।

- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में किलकारी के मुनटुन राज को प्रथम तथा खुशबू सिन्हा को द्वितीय पुरस्कार मिला। प्रवीण कुमार को छोटे बच्चों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री के हाथों मिला।

- गोपालगंज में आयोजित राज्य स्तरीय जुनियर ताईक्वांडो प्रतियोगिता में मुस्कान कुमारी एवं विष्णु शंकर पाठक को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ।
- द्वितीय इनोवेशन फेस्टिवल साइंस सेन्टर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रियांशु कुमार को प्रथम स्थान।
- IMA Stat Fighter राज्य कराटे चैम्पियनशिप– 2018 में कराटे के 07 बच्चों ने गोल्ड मेडल, 09 बच्चों ने सिल्वर मेडल एवं 11 बच्चों ने ब्राउंज मेडल प्राप्त किये।

***

जन शिक्षा

जन शिक्षा निदेशालय के द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :–

- महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की माताओं (15 से 35 आयु वर्ग) को साक्षर बनाना।
- महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का कार्य।
- सामाजिक सुधार एवं कुरीतियों के समापन के लिये जन जागरण एवं वातावरण निर्माण।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समारोह, दिवस, शताब्दी, अभियान का आयोजन।
- साक्षरता, शिक्षा एवं विभिन्न अभियान से संबंधित साहित्यों एवं प्रचार–प्रसार–सामग्रियों का निर्माण।

(ख.) महादलित, दलित, अतिपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अक्षर आँचल योजना –

यह योजना दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संचालित की जा रही हैः–

1. 15–35 आयुवर्ग की महादलित, दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की असाक्षर महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता के साथ विकासात्मक योजनाओं का लाभ दिलवाना।
2. 06–14 आयुवर्ग के संबंधित समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उनका विद्यालय में नामांकन तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना साथ ही विद्यालय अवधि के पूर्व/पश्चात् कोचिंग दिया जाना।
3. वर्तमान स्कीम अवधि में राज्य के 20 हजार महादलित एवं दलित समुदाय के टोला सेवकों तथा 10 हजार अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के शिक्षा सेवियों के माध्यम से उपरोक्त कार्य संपादित किये जाने का लक्ष्य है। असाक्षर महिलाओं की 20–20 टोली में 6–6 माह के दो चरण में उन्हें बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाती है। प्रत्येक 6 माह बाद उनका NIOS द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा सफल शिशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिया जाता है।

वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना

- **राशि** विवरणी :–

कुल स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
`31863.84 लाख	`28664.67 लाख

केन्द्र लक्ष्य			खोले गये साक्षरता केन्द्र			शिशिक्षु लक्ष्य			शिशिक्षु नामांकन		
उत्थान केन्द्र	तालीमी मरकज	कुल	उत्थान केन्द्र	तालीमी मरकज	कुल	महादलित एवं दलित	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	कुल	महादलित एवं दलित	अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	कुल
20000	10000	30000	19276	8807	28083	800000	400000	1200000	772138	344274	1116412

उपलब्धि –

- 17 सितम्बर, 2017 को NIOS द्वारा आयोजित परीक्षा

प्रथम चरण में नामांकित शिशिक्षु सं0	परीक्षा में शामिल शिशिक्षु सं0	परीक्षा में उत्तीर्ण शिशिक्षु सं0
5,58,580	5,02,350	4,06,903

- द्वितीय चरण की परीक्षा 18 मार्च, 2018 को प्रस्तावित

(ग.) <u>केन्द्र प्रायोजित योजना– साक्षर भारत कार्यक्रम</u>

- भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को विशेषकर महिला निरक्षरों को साक्षर करने, उन्हें जागरुक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

- साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में निरक्षरता दर को कम करना खासकर महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाना।

- 15+ आयु के 1,47,66,427 निरक्षरों को दिसम्बर, 2017 तक साक्षर करने का लक्ष्य।

- जिला स्तर पर प्रत्येक जिला में जिला लोक शिक्षा समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड लोक शिक्षा समिति एवं पंचायत स्तर पर गठित पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण।

2017–18 की लक्ष्य एवं उपलब्धि :–

शिशिक्षु लक्ष्य	नामांकित शिशिक्षु	17 सितम्बर, 2017 को NIOS द्वारा आयोजित परीक्षा	
		परीक्षा में शामिल शिशिक्षु सं0	परीक्षा में उत्तीर्ण शिशिक्षु सं0
2100000	1542432	14,98,662	12,10,010

द्वितीय चरण की परीक्षा 18 मार्च, 2018 को प्रस्तावित

(घ.) **चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी के विभिन्न कार्यक्रम**

- राष्ट्रीय विमर्श : 10–11 अप्रैल, 2017 को पटना में नवनिर्मित ज्ञान भवन में राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन की उपादेयता पर विस्तृत चर्चा हुई एवं प्रासंगिक सुझाव आए। देश के लगभग 100 ख्याति प्राप्त गांधी विचारक, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं 1500 युवा–युवतियों ने विमर्श में सक्रिय भागीदारी की। श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री, बिहार), जस्टिस चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, जस्टिस राजेन्द्र सच्चर, श्री राजमोहन गांधी, श्री गोपालकृष्ण गांधी, श्रीमती तारा गांधी, श्री तुषार गांधी, मेधा पाटकर, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सुब्बा राव, श्रीमती प्रेरणा देसाई, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, श्री कुमार प्रशांत, श्री नंद किशोर आचार्य, श्री दिलीप सीमियन, रज़ी अहमद, श्री डी.एम. दिवाकर, श्री अरविन्द मोहन, प्रो0 शमशुल इस्लाम, श्री महादेव विद्रोही, श्री शैबाल गुप्ता, श्री ब्रज किशोर सिंह इत्यादि विमर्श के प्रमुख वक्ता विचारक थे। उक्त विमर्श की एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गयी है।

- **अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह–** 17 अप्रैल, 2017 को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम

राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार माननीय शिक्षा मंत्री के साथ विभिन्न दलों के वरिष्ट नेताओं के द्वारा बिहार की जनता की ओर से पूरे देश से पहुँचे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रम में नहीं आ सके जिला पदाधिकारियों के माध्यम से उन्हें घर पर सम्मान सामग्री–गांधी टोपी, मिथिला पेंटिंग की हुई सिल्क चादर, गांधीजी की काष्ठ प्रतिमा, स्मारिका एवं केला फेब्रिक से तैयार झोला भेंट किया गया।

- **<u>मोहन से महात्मा</u> –** गांधी के जीवन एवं विचारों से लोगों को अवगत कराने हेतु राजस्थान के कलाकारों द्वारा 'मोहन से महात्मा' पपेट शो का प्रत्येक जिले में 10 कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण हुई।

- **<u>बापू आपके द्वार</u> –** माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा ज्ञान भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, पटना में 11 अक्टूबर, 2017 को बापू के जीवन एवं विचारों को घर–घर तक पहुँचाने हेतु 'बापू आपके द्वार' फोल्डर का विमोचन किया गया। इस फोल्डर में गांधीजी के महत्वपूर्ण संदेशों को उद्धृत किया गया है। जिसमें गांधीजी बिहार के लोगों से बातचीत करते हुये विभिन्न विषयों पर अपना संदेश देते हैं। सभी संदेश समसामयिक विचारों पर केन्द्रित हैं एवं पाठक को सोचने और कुछ करने के लिये प्रेरित करते हैं। इन संदेशों को फोल्डर के रुप में आकर्षक ढंग से विकसित और मुद्रित करवाया गया तथा राज्य के 1 करोड़ 50 लाख घरों में वितरित किया गया।

- **गांधी कथा वाचन** – माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञान भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, पटना में 11 अक्टूबर, 2017 को गांधीजी से संबंधित दो कहानियों का वाचन स्कूली बच्चों के बीच किया गया जिसका विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में प्रसारण हुआ। कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। उक्त कहानियों का विद्यालयों में बच्चों द्वारा प्रतिदिन प्रार्थना सभा में वाचन किया जा रहा है।

(च) बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान –

- बिहार राज्य में 02 अक्टूबर, 2017 से दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान चलाया गया है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बापू सभागार, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, गांधी मैंदान पटना में किया गया। इसके अंतर्गत वातावरण निर्माण हेतु जिले में साक्षरता कर्मियों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियाँ जैसे– मैराथन दौड़, मेंहदी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, पतंगबाजी, दिवाल लेखन की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि की गई :–

- **<u>नारा लेखन</u> –** बिहार के विभिन्न टोले, गाँव, पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर के सार्वजनिक स्थलों पर साक्षरता कर्मियों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित लगभग 30,74,432 नारा लेखन किया गया। नारों में कुछ प्रमुख थेः–

  बाबा अपना फर्ज निभाना, शादी 18 के बाद करवाना।

  बाबुल मेरी उमर है कच्ची, कम उमर में शादी ना अच्छी।

  नये बिहार की नयी सुबह, दहेज–प्रथा की नहीं जगह।

  बेटी है एक वरदान, दहेज देकर मत करो अपमान।

  हम तुम बनाए एक ऐसी राह, हो दहेज उन्मूलन और बाल विवाह।

- **रैली –** जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित रैली, साईकिल रैली, मोटरसाईकिल रैली, पदयात्रा, मशाल जुलूस आदि निकाली गयी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया एवं इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सशक्त वातावरण बना।

- **गीत एवं नाटक का निर्माण** – राज्यस्तर पर कार्यशाला आयोजित कर बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित 14 गीत के बोल तथा 5 नाटकों के स्क्रीप्ट लिखे गये। तैयार गीतों को अनुध्वनि द्वारा संगीतबद्ध किया गया और इसकी सी0डी0 तैयार कर सभी जिलें को उपलब्ध करायी गई। इसके अतिरिक्त कलाजत्था के मास्टर ट्रेनर को तैयार गीत एवं नाटक का प्रशिक्षण दिया गया।

- **कला जत्था** – राज्य के 8441 पंचायतों में कुल– 16932 स्थानों पर गीत, नाटक एवं सामूहिक चर्चा के माध्यम से कला जत्था के 124 टीम के कलाकारों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन का संदेश लोगों तक पहुँचाया गया। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी कलाकारों ने इससे संबंधित गीत एवं नाटक की प्रस्तुतियाँ की, जिसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने सभा में किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर भी कलाजत्था के कलाकारों द्वारा दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन संबंधी गीत एवं नाटक प्रस्तुत किये गये। फलस्वरुप राज्य में अनेक दहेजमुक्त शादियाँ हुईं तथा बाल विवाह एवं दहेज के खिलाफ वातावरण का निर्माण हुआ। वास्तव में ये कलाकार सामाजिक सुधार एवं कुरीतियों के समापन के क्षेत्र में हमारे राजदूत है।

- **अपील**– राज्य के 9 लाख 80 हजार घरों में माननीय मुख्यमंत्री के अपील का वितरण किया गया तथा इसके माध्यम से लोगों को बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के प्रति जागरुक करते हुए मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील की गई।

(छ) राज्यव्यापी विराट मानव श्रृंखला

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के पक्ष में 21 जनवरी, 2018 को राज्य सरकार ने राज्य व्यापी मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखा। बिहार की जनता, महिलाएँ, युवा, बच्चे, शिक्षक, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्त्ता, सम्पूर्ण बिहारवासियों ने मिलकर ऐतिहासिक विशाल राज्यव्यापी 14060 K.M. की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। जिसमें 3.80 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई

(ज) कोई बच्चा पीछे नहीं, माता–पिता भी छूटे नहीं

- वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2012–13 से राज्य सरकार द्वारा महादलित, दलित, एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एवं उनकी माताओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता सुनिश्चित कराने के लिए महादलित, दलित, एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संचालित किया जा रहा है फलस्वरुप विद्यालय में बच्चों का नामांकन 99 प्रतिशत हो गया है परन्तु अभी भी नियमित उपस्थिति, छीजन नहीं होना तथा गुणात्मक शिक्षा हमारे लिये चुनौती है। साक्षरता दर में भी बिहार देश में सबसे नीचे पायदान पर है। बिहार में अभी 55.5 प्रतिशत ही महिला साक्षर है। उक्त कारणों के निदान हेतु इस समुदाय के साथ लक्ष्य आधारित फोकस तरीके से लम्बे समय तक सीखने–सीखाने की गतिविधियां संचालित करने हेतु एक विशेष मुहिम चलायी गयी।

- नालंदा जिला में दिनांक 10.02.2017 से 04.02.2018 तक ''कोई बच्चा पीछे नहीं, माता–पिता भी छूटे नहीं'' पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया।

- इस प्रोजेक्ट में 6–14 आयु वर्ग के बच्चे एवं 15– 35 आयु वर्ग की संबंधित समुदाय की असाक्षर माताओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बुनियादी साक्षरता प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया एवं लिखना, पढ़ना एवं गणित के लिए 150 घंटे के कार्यक्रम रखे गये। 573 टोला सेवकों एवं शिक्षासेवियों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया गया। इसमें प्रथम का प्रशिक्षण, अनुश्रवण में निःशुल्क सहयोग मिला।

  स्थानीय समुदाय एवं जन प्रतिनिधियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

उपलब्धि–

- शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।

- कर्मियों में प्रतिबद्धता का विकास हुआ, लक्ष्य एंव प्रक्रिया की समझ बढ़ी।
- महिलाओं में आत्मविश्वास का विकास हुआ। उन्होंने खुद साक्षर होने के साथ–साथ बच्चों को बढ़ने के लिए नियमित प्रयास करती रहीं।

भाषा में पढ़ने के स्तर में वृद्धि –

- कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के शब्द या उसके ऊपर के स्तर में 21% प्रतिशत वृद्धि एवं कक्षा 3 तथा 5 के अनुच्छेद या उससे ऊपर के स्तर के बच्चों में 7% प्रतिशत की वृद्धि।

गणित करने का स्तर–

- कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के जोड़ या उसके ऊपर के स्तर में 24% प्रतिशत वृद्धि।
- कक्षा 3 एवं 5 के घटाव या उससे ऊपर के स्तर के बच्चों में 26% प्रतिशत वृद्धि।

भावी कार्यक्रम

1. महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का संचालन किया जायेगा, जिसमें लगभग `31836.84 लाख व्यय होने के अनुमान है।

2. केन्द्र प्रायोजित योजना– साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को विशेषकर महिला निरक्षरों को साक्षर करने, उन्हें जागरुक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल अनुमानित व्यय `17303.51 लाख है जिसमें केन्द्रांश `10382.11 लाख एवं `6921.40

लाख उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्यांश व्यय होना है। इस कार्यक्रम की अवधी 31 मार्च 2018 तक केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

3. चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी के अवसर पर होने वाले गतिविधियाँ/कार्यक्रम

(क.) गांधी से जुड़े प्रमुख स्थ्लों पर स्थापित किये जाने वाले मूर्त्ति/भित्ति चित्र (mural) dh fooj.kh

क्र स.	जिला का नाम	स्थान का नाम	मूर्ति की विवरणी	जिला स्तर से किये जाने वाला कार्य
1.	पूर्वी चम्पारण	मध्य विद्यालय, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण	गांधीजी खड़े हैं एवं जे0 बी0कृपलानीजी बच्चों को पढ़ा रहेहैं का भित्ति चित्र (mural)।	दीवार एवं शेड का निर्माण जिसपर लगभग 5X10 वर्गफीट का mural लगाया जाएगा।
		बुनियादी विद्यालय, मधुबन	पढ़ते हए बच्चों के बीच गांधीजी की भिति चित्र(mural)।	दीवार एवं शेड का निर्माण जिसपर लगभग 5X10 वर्गफीट का mural लगाया जाएगा।
		मधुबनी आश्रम, चिरैया, पूर्वी चम्पारण	महात्मा गांधी की सूत कातती कांस्य की मूर्ति।	प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान का विकास एवं पेडस्टल का निर्माण बनाना।
2.	पश्चिमी चम्पारण	मुरलीभरवा	पं0 राजकुमार शुक्ल एवं संत राउत की प्रतिमा।	मुरलीभरवा में चि%ित स्थान को घेर कर पार्क के रूप में विकसित करना एवं प्रतिमा स्थापना के लिए पेडस्टाल निर्माण।
		बुनियादी विद्यालय, भितिहरवा	कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा।	प्रतिमा स्थापना के लिए पेडस्टाल बनाना। स्थान का विकास।
		साठी थाना परिसर	लोगों के बयान को सुनते हुए महात्मा गांधीजी का म्यूरल।	दीवार एवं रोड का निर्माण जिसपर लगभग 5 x10 वर्गफीट का म्यूरल लगाया जाएगा।
		वृन्दावन आश्रम	गांधीजी की आदमकद प्रतिमा।	स्थान को घेर कर पार्क के रूप में विकसित करना एवं प्रतिमा स्थापना

				के लिए पेडस्टाल बनाना।
3.	मुजफ्फरपुर	लंगट सिंह महाविद्यालय में अवस्थित कुँआ	गांधी जी की स्नान करती हुई मूर्त्ति।	गांधी कुप के स्थान का विकास एवं मूर्ति स्थापना हेतु प्लेटफार्म बनाना।

(ख.) शोध कार्य (जगजीवन राम शोध एवं राजनीतिक अध्ययन संस्थान) –

- चम्पारण में नील संघर्ष के गुमनाम नायक (हिन्दी)
- Champaran Satyagrah Indian news papper, periodicals and legislative Debates.
- नील के धब्बे (पुनर्प्रकाशन)
- दिशा–निर्देश निर्माण – टोला सेवकों एवं शिक्षा सेवियों के नियोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश का निर्माण जिससे कि नियोजन में पारदर्शिता हो एवं सभी को अपने कार्य के संबंध में स्पष्टता रहे और वे उसके अनुरूप अपनी भूमिका निभायें (अप्रैल, 2018 तक प्रस्तावित)।
- डाटाबेस निर्माण– टोला सेवक एवं शिक्षासेवियों का विस्तृत डाटाबेस निर्माण जिससे कि उनके विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आसान हो तथा उनकी दक्षता की जानकारी के आधार पर उसका विकास किया जा सके।
- कोई बच्चा पीछे नहीं, माता–पिता भी छूटे नहीं – नालंदा में संचालित पायलट प्रोजेक्ट के सफलता के बाद अन्य 8 जिले में विस्तार तथा नालंदा जिले में द्वितीय चरण का प्रारंभ। शेष 29 जिले में प्रशिक्षण एवं नियमित अनुश्रवण।
- कोई नहीं अंगूठा छाप – टोला सेवकों, शिक्षासेवी एवं साक्षरता के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के सहयोग से महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने हेतु टोला सेवकों एवं शिक्षा सेवियों को प्रशिक्षित कर कार्यक्रम चलाने की योजना (अप्रैल, 2018 से)।
- बिहार दिवस–2018 के अवसर पर जन शिक्षा पैवेलियन में मोहन से महात्मा पपेट शो एवं गांधीजी के जीवन पर आधारित नाटक का प्रदर्शन। मानव श्रृंखला–2018 में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले पदाधिकारी/कर्मियों को पुरस्कृत करना।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना अन्तर्गत अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना :– कुल 8391 पंचायत के तहत 5059 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के विरूद्ध 2200 उच्च माध्यमिक विद्यालय से विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा 2859 अनाच्छादित पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के क्रम में शौचमुक्त (ODF) पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के क्रम में भूमि की न्यूनतम उपलब्धता के मापदण्ड को 01 एकड़ से घटाकर 0.75 एकड़ निर्धारित किया गया है।

शिक्षकों की नियुक्ति :–माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपेक्षित संख्या में शिक्षकों के पदस्थापन हेतु नियोजन की कार्रवाई विभिन्न चरणों में की जाती रही है। परन्तु गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में अहर्ताधारी अभ्यर्थियों की कमी के कारण इन विषयों में शिक्षकों की अनुपलब्धता बनी हुयी है। इस स्थिति को ध्यान में रख कर विद्यालय प्रबंधन समिति को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकतानुसार Guest Faculty (अतिथि शिक्षक) को अनुबंध पर नियोजित कर सकते हैं। इससे शिक्षकों की कमी को दूर करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद से राज्य के अंगीभूत/सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा के 1621025 छात्राओं को प्रति छात्रा `1000/–(एक हजार) की दर से बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत सभी जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं नियमानुसार खाता के माध्यम से वितरण किया गया है।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं

वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा के 694115 छात्र एवं 713715 छात्रा को मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा `2500/–की दर से साईकिल क्रय हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं वितरण कराया जारहा है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के 50515 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा `10,000/–की दर से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं नियमानुसार खाता के माध्यम से वितरण कराया जारहा है।

मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) 23713 छात्रों के लिए प्रति छात्र `10,000/–की दर से सभी जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/ प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को कक्षा 9 से 10 तक प्री–मैट्रिक छात्रवृति अन्तर्गत कुल 2,54,595 छात्राओं को प्रतिमाह `150/–की दर से जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/ प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि (अल्पसंख्यक सहित) जिनका पारिवारिक आय `1,50,000/– है, छात्रों को कक्षा 9 से 10 तक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत कुल 2,28,616 छात्रों को प्रतिमाह `150/–की दर से जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

बालिका छात्रावास 2017–18

कुल शौक्षिक पिछड़ा प्रखंड (EBBs) की संख्या–530, स्वीकृत शौक्षिक पिछड़ा प्रखंड (EBBs) की संख्या–425, पूर्ण बालिका छात्रावास भवन की संख्या–125, प्रगति पर बालिका छात्रावास की संख्या–22, संचालित बालिका छात्रावास की संख्या–100,

बालिका छात्रावास 2018–19

बालिका छात्रावास का प्रस्ताव–82 एंव बालिका छात्रावास संचालन की संभावना–100

व्यावसायिक शिक्षा

- पूर्व से 91 राजकीय/राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का अध्यापन कार्य किया जा रहा है।

- शैक्षणिक सत्र 2018–19 से 38 राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का अध्यापन कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि शिक्षा

शैक्षणिक सत्र 2015–17 से राज्य के 11 जिलों यथा, गया, पटना, वैशाली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णियां, कटिहार, जमुई एवं मुंगेर में अवस्थित एक–एक राजकीय उच्च विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि) का पठन पाठन प्रारंभ है। शेष 27 जिलों में अवस्थित एक–एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि) का अध्यापन कार्य शैक्षणिक सत्र 2018–20 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय

- राज्य में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय अवस्थित है।

- उन विद्यालयों में सृजित पद के विरूद्ध विधिवत एवं नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पद के विरूद्ध विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु उपबंधित `54,00,00,000/–(चौवन करोड़) राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

1.उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु 2017–18 में 2815 प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु `6469.54 लाख की राशि स्वीकृत है।

2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2016–17 में 8850 हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान, 4317 विज्ञान एवं गणित तथा 889 अंग्रेजी के शिक्षकों का दस दिवसीय जिलास्तरीय सेवाकालीन प्रशिक्षण अनुमोदित है।

अद्यतन 114 सामाजिक विज्ञान 114 हिंदी के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया एवं 111 अंग्रेजी विषय के जिलास्तरीय साधनसेवियों को राज्यस्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

- सभी जिलों के 1524 सामाजिक विज्ञान तथा 1494 हिंदी के शिक्षकों को जिलास्तरीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण जनवरी, 2018 में दिया गया।
- माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के विषय में अभिरूचि विकसित करने हेतु प्रथम चरण में राज्य के 1000 वैसे विद्यालयों को चि्ति किया गया जहाँ प्रयोगशालाएँ तथा विज्ञान के शिक्षक उपलब्ध हैं।
- ऐसे विद्यालयों के 404 शिक्षकों को 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान के पुस्तकों एवं प्रयोगशालाओं पर पाँच दिवसीय राज्यस्तरीय प्रशिक्षण दिया गया, शेष 596 शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है।

3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत Induction Training के संबंध में।

दस दिवसीय Induction Training के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् राज्य के 147 जिलास्तरीय साधनसेवियों को Induction Training Module पर SCERT, Patna में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अन्तर्गत सभी जिलों में 1512 शिक्षकों को दस दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिया गया।

- पटना जिले के 70 शारीरिक शिक्षकों को छात्रों में योग प्रशिक्षण देने हेतु पाँच दिवसीय योग प्रशिक्षण, बिहार योग विद्यालय, मुंगेर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
- शाला सिद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के मूल्यांकन के लिए न्यूपा, नई दिल्ली द्वारा विकसित बेव पोर्टल पर विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने हेतु 238 प्रधानाध्यापकों का तीन दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया।

- **किशोरी मंच**

छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित होने तथा विद्यालय के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य 13 जिले के 1524 माध्यमिक विद्यालयों में `2000/– की दर से कुल `30.48 लाख की राशि किशोरी मंच के गठन संबंधी गतिविधि अनुमोदित है। इस हेतु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में किशोरी मंच का गठन किया गया है एवं विद्यालयों में गतिविधियों संचालित की गई।

- **Self Defence Training**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा नवम के छात्राओं हेतु जूडो/कराटे प्रशिक्षण का संचालन सभी जिलों में किया जा रहा है।

- **वार्षिक अनुदान**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में वार्षिक अनुदान के रूप में `50,000/– की राशि राज्य के 5636 माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत है। अद्यतन राज्य के 2000 विद्यालयों को यह राशि भेजी की गई है।

- **Life Skill Counselling Project**

यूनिसेफ के सहयोग से बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा Life Skill Counselling Project में नवम वर्ग के छात्राओं हेतु Low GER District वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा एवं पटना के 100 माध्यमिक विद्यालयों में किया गया है। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों के नवम कक्षा के छात्र/छात्राओं के जीवन कौशल शिक्षक एवं कैरियर परामर्श हेतु यूनिसेफ के सहयोग से Life Skill Counselling Project कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसके तहत् माध्यमिक छात्रों हेतु चार मॉडयूल Life Skill, Communicative English, IT Skills & Career Counselling संबंधी मॉड्यूल विकसित किया गया।

- कार्यक्रम के संचालन हेतु विद्यालयों में छात्रों का Baseline Assessment किया गया, जिसके उपरांत सभी मॉड्यूल पर चार–चार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम संचालित किया गया तथा सभी चयनित विद्यालयों में कैरियर हब स्थापित किया गया एवं कार्यक्रम संचालन का सतत् अनुश्रवण किया गया।

- छात्रों के अभिरूचि के अनुरूप कैरियर के चुनाव हेतु सभी का Psychometric Test की गई, एवं एनालिसिस कर उन्हें सही मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा दिया गया।

- मार्च 2018 में जिलों में विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल 425 बालिका छात्रावास स्वीकृत है। बालिका छात्रावास भवन का निर्माण BSEIDC के द्वारा कराया जाता है। अबतक कुल 124 बालिका छात्रावास भवन निर्माण पूर्ण है तथा 22 बालिका छात्रावास भवन निर्माण प्रगति पर है। कुल व्यय `19266.61 लाख व्यय हुआ है।

- 104 बालिका छात्रावास संचालित है।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा 38 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में दो ट्रेडो में प्रशिक्षण की स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार तत्काल कुल 05 ट्रेडो में यथा Auto Mobile, Beauty and Wellness, Retail Management, Security, Tourism Hospility का प्रशिक्षण दिया जाना है।

  उपर्युक्त 05 ट्रेडो का अध्यापन ऐच्छिक विषय के रूप में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में `383.67 लाख भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

- दूरभाष के माध्यम से दिव्यांगता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में समावेशी सहायता लाइन अनुमोदित है। इस हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड से टोल फ्री न0 1800 345 6212 का कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है एवं ऑपरेटर का चयन कर कार्य करवाया जा रहा है।

- दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक जागरूकता लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में `10,000/– (दस हजार रु0) स्वीकृत है। इस हेतु जिलों के द्वारा निम्न प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं का नामांकन अभियान, विश्व दिव्यांगता दिवस 03 दिसम्बर, 2017 एवं 04 जनवरी 2018 को लूईल ब्रेल के जन्म दिवस पर प्रभात फेरी, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया।

- 5,636 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए `300 प्रति प्रधानाध्यापक का बजट स्वीकृत है। इसके अंतर्गत सभी प्रधानाध्यापक को

दिव्यांगता से संबंधित जानकारी एवं दिशा निर्देश हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है।

- इस योजना के तहत 1505 सामान्य शिक्षक हेतु `72.24 लाख स्वीकृत है। इस हेतु सभी जिलों से 5:1 के आधार पर सूची का निर्माण किया जाना है।

- **iqLrd ,ao ikB~; lekxzh ¼Books & Stationary)**

इस योजना के तहत 7389 विशेष आवश्यकता वाले `1000.00 (एक हजार रु0) प्रति छात्र/छात्राओं हेतु कुल राशि `73.89 लाख स्वीकृत है। जिसमें 3384 छात्र/छात्राओं को राशि हस्तांतरित कर दी गयी है।

- **Assitive Devices Equipment and TLM**

विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए TLM की आवश्यकता हो सकती है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा सभी जिलों को `10000/– की दर से `3.8 लाख स्वीकृत किया गया है। जिसे निर्माण करने हेतु सभी जिलों के डायट के विशेषज्ञ प्राधिकृत है।

- **Medical Assesment & Aids Appliances**

विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं का दिव्यांगता की पहचान हेतु चिकित्सा आकलन शिविर का आयोजन सभी जिलों के द्वारा किया गया एवं सहाय्य उपकरण हेतु एलिमिको कानपुर से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

- **Stipend for Girls**

विशेष आवश्यकता वाले छात्राओं के लिए `200 प्रतिमाह की दर 10 महीना के लिए कुल 3326 छात्राओं के लिए `66.52 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें 2025 छात्राओं का राशि हस्तांतरित कर दी गयी है।

- **Civil Works**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हेतु वित्तीय वर्ष 2009 से 2017 तक 1153 माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 664 विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं 249 माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।

- **School Strengthing**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 596 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण तथा 1019 माध्यमिक विद्यालय में आर्ट एवं क्राफ्ट की

स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें 467 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला कक्ष, उपकरण एवं 771 माध्यमिक विद्यालय में आर्ट एवं क्राफ्ट निर्माण कार्य प्रारंभ है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत डेढ़ वर्षों के अन्दर माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं के आयोजन की पद्धति एवं समिति की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किया गया है तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत समिति द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन फार्म भरने की व्यवस्था को लागू किया गया है। कम्प्यूटरीकृत परीक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा से संबंधित सभी कार्यो को प्री–एक्जाम सॉफ्टवेयर तथा पोस्ट–एक्जाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जा रहा है।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के क्रम में परीक्षार्थियों के विगत तीस वर्षो (1984–2016) के प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में, समिति द्वारा विगत 12 वर्षों (2005–2016) के मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षार्थियों के अंक पत्रों (Mark sheet) व प्रमाण पत्रों (Certificate) को ऑनलाईन कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षार्थियों के रिकॉर्ड का ऑनलाईन verification आसानी से संभव हो सकेगा।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में अस्थायी आवासन के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत की गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय के होने से राज्य के सुदूर इलाकों के परीक्षार्थियों को समिति कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के कार्यो का निष्पादन इन क्षेत्रीय कार्यालयों से संभव हो सकेगा और इसके लिए उन्हें पटना नहीं आना पड़ेगा।
- एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में परीक्षा भवन का निर्माण समिति द्वारा कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सभी नौ प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में लगभग `16.93 करोड़ की लागत से लगभग 1,00,000 (एक लाख) वर्गफीट के पांच मंजिला परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। इन परीक्षा भवनों के कई फायदे होंगे :– पहला, इनमें एक साथ पाँच हजार परीक्षार्थी सी.सी.टी.वी. की निगरानी में परीक्षा दे सकेंगे। दूसरा, परीक्षा के बाद इन परीक्षा भवनों में कॉपियों की स्टोरेज भी

की जायेगी। तीसरा, इन परीक्षा भवनों को कॉपियों की जाँच के लिए मूल्यांकन सेंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

- परीक्षा व्यवस्था में सुधार के क्रम में वर्ष–2018 से प्रैक्टिकल परीक्षा को वार्षिक परीक्षा से पहले आयोजित किया जाएगा। साथ ही, प्रैक्टिकल परीक्षा में होम सेन्टर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जिलाधिकारी द्वारा चयनित सेन्टर पर ही उसे आयोजित किया जाएगा।

- राज्य के इंटर तथा मैट्रिक के लाखों परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगामी इंटरमीडिएट तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2018 से सभी विषयों (Theory papers) में 50 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ (objective) पूछे जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 50 प्रतिशत प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न (short questions) तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (long questions) होंगे अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न (short questions), जो दो अंक के हैं, उसमें 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रश्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (long questions), जो 5 अंक के होंगे, में प्रत्येक प्रश्न मेंएक अतिरिक्त विकल्प 'अथवा' के रूप में दिया जायेगा। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव करने पर परीक्षार्थियों के उत्तीर्णता प्रतिशत में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ समिति से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को उच्च प्रतिशत (high percentage) मिलने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें देश के अग्रणी संस्थानों में नामांकन कराने में कठिनाईओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

- वर्ष 2017 से पुरस्कार की राशि में वृद्धि करते हुए वार्षिक माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को एक लाख रूपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पचहत्तर हजार रूपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पचास हजार रूपये के साथ–साथ एक–एक लैपटॉप एवं एक–एक Kindle E-Reader पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के तीनों संकाय में चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व की भांति पन्द्रह हजार रूपये एवं एक–एक लैपटॉप तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में चतुर्थ स्थान से दशम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व की भांति दस हजार रूपये एवं एक–एक लैपटॉप पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है ।

- इस वर्ष से भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न स्व0 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी की अद्‌भुत विलक्षण प्रतिभा एवं उनके अद्वितीय मेधा की याद को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उनकी जन्म तिथि तीन दिसम्बर को राज्य सरकार द्वारा ’मेधा दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

- 03 दिसंबर, 2017 को आयोजित ’मेधा दिवस’ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किये गये घोषणा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :–

(i) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में दस शीर्ष स्थान में आने वाले एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के कला, विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय में पांच शीर्ष स्थान में आने वाले छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

(ii) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा (कक्षा X) में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से दस शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर छात्र–छात्राओं को 1200 रूपया प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जायेगा। यह 11वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहने पर दो वर्ष तक दिया जायेगा, बशर्ते कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(iii) इसी प्रकार, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा (कक्षा XII) में उत्तीर्ण तीनों संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से पांच शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को `1500 प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिया दिया जायेगा। यह सामान्य स्नातक कोर्स में अध्ययनरत् रहने की स्थिति में तीन वर्ष एवं स्नातक तकनीकी कोर्स में अध्ययनरत् रहने पर चार वर्ष या Integrated पांच वर्षीय कोर्स के लिए पांच वर्ष तक दिया दिया जायेगा, बशर्ते कि प्रतिवर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(iv) छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अभ्यर्थी छात्र–छात्राओं के बैंक खातें में, RTGS के माध्यम से प्रतिमाह नियमित रूप से अन्तरित की जायेगी।

fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr½

	o"kZ	lfEefyr		izFke Js.kh esa mŸkhZ.k	f}rh; Js.kh esa mŸkhZ.k	r`rh; Js.kh esa mŸkhZ.k	mŸkhZ.k	dqy
		Nk=	Nk=k					
ek/;fed ijh{kk	2017	866283	897188	241219	470775	155017	190	867201
	2018	891243	878794	&	&	&	&	&
b.Vj ijh{kk	2017	172039	556639					
	2018	719848	488130					

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना राज्य सरकार की संकल्प संख्या 303 दिनांक 03.06.1980 के द्वारा शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए की गई है। विद्यालय स्तरीय शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान का दायित्व मुख्य रूप से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् का कार्य है। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को राज्य का शैक्षिक प्राधिकार (Academic Authoriy) घोषित किया गया है। परिषद् का मुख्य कार्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शैक्षिक, सहयोग तथा अनुसमर्थन करना है। परिषद् पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास करती है। साथ ही अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्चर्या, पाठ्यक्रम एवं स्वाध्याय सामग्री का भी विकास करती है। परिषद् प्रारंभिक, माध्यमिक एवं अध्यापक शिक्षकों के निरंतर उन्मुखीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करती है तथा प्रशिक्षण हेतु साधनसेवियों को प्रशिक्षित करती है।

- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के अंर्तगत निम्नांकित विभाग/कोषांग (सेल) हैं।

    1. विज्ञान एवं गणित संकाय 2. शिक्षण शास्त्र पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन संकाय

    3. अध्यापक शिक्षा संकाय 4. विद्यालीय शिक्षा संकाय

    5. भाषा एवं सामाजिक संकाय 6. दूरस्थ शिक्षा संकाय

    7. शैक्षिक प्राद्यौगिकी संकाय 8. योजना प्रबन्धन शोध एवं नीति संकाय

    9. समावेशी शिक्षा संका 10. शिक्षा मनोविज्ञान संकाय

11. शारीरिक शिक्षा आर्ट एवं क्राफ्ट संकाय कोषांग (सेल)

12. जनसंख्या शिक्षा कोषांग

13. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

वित्तीय वर्ष 2017–18 में परिषद् द्वारा गये उपलब्धियों का विवरण

<u>अध्यापक शिक्षा में उपलब्धि</u>

- एन.सी.टी.ई. 2014 के गाईड लाईन के अनुपालन में पूर्व से संचालित डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एडुकेशन (सेवा कालीन) पाठ्यचर्या–सह–पाठ्यक्रम–का संशोधन तथा परिमार्जन किया गया एवं मुद्रण हेतु बी.टी.बी.सी बिहार पटना को उपलब्ध करा दिया गया है।
- शिक्षकों के क्षमता संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों का विकास। संकाय सदस्यों का क्षमता विकास हेतु अंतरसंस्थागत जुड़ाव : आर.आई.ई. भुवनेश्वर, एन, सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली, न्यूपा नई दिल्ली आदि।
- प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों का क्षमता विकास हेतु सात दिवसीय प्रशिक्षण। राजकीयकृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन। राजकीयकृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक/लिपिक, अवर सेवा के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन। प्रारंभिक शिक्षक शिक्षक मूल्यांकन(दक्षता) परीक्षा का आयोजन।

<u>विद्यालयी शिक्षा में उपलब्धि</u>

- प्रारंभिक विद्यालय के कक्ष I से VIII के पाठ्यपुस्तकों में अधिगम प्रतिफल के बिन्दुओं को विकसित कर पाठ्यपुस्तकों में समावेशन लीफलेट का विकास, पोस्टर का विकास तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य साधनसेवियों का प्रशिक्षण।
- मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार तथा एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण,2017 कक्षा III, V एवं VIII के लिए दिनांक 13.11.2017 को सफलता पूर्वक किया गया।
- विद्यालयों में विज्ञान विषय के सीखने सिखाने को संवर्धित के लिए विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रारंभिक) परीक्षा एवं राष्ट्रीय आय–सह–मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन, जिसमें सफल छात्र–छात्राओं को भारत सरकार से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

<u>नवाचारी उपलब्धि</u>

- कला समेकित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का क्षमता विकास। खेल–आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का क्षमता विकास।

- कक्षा I एवं II के बच्चों के लिए विद्यालय तत्परता कार्यक्रम (School Readyness Programme)

2018–19 का आगामी कार्य योजना

- कक्षा XI एवं XII के लिए कृषि विज्ञान (I.Sc.) की प्रायोगिक पुस्तिका का विकास

- प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा में तीन बार असफल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण।

- प्रारंभिक विद्यालयों के लिए ब्रिज कोर्स का विकास।

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के उपरांत मानव संसाधन विकास विभाग तथा एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, द्वारा जारी जिला रिपोर्ट कार्ड (District report cart) के आलोक में शिक्षकों का प्रशिक्षण।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE)

- राज्य के व्यापक शैक्षणिक सुधार एवं प्रगति के बावजूद काफी बालक/बालिकाएँ एवं वयस्क, कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हैं। ऐसे सभी शिक्षा से वंचित लोगों को, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ”दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली“ के अन्तर्गत बिहार में पहली बार, एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना, सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 द्वारा पंजीकरण संख्या 2074 से दिनांक 18.02.2011 को की गई है। दिनांक 13.06.2011 से बोर्ड ने चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में कार्य करना आरम्भ किया। यह परीक्षा बोर्ड औपचारिक विद्यालयी शिक्षण प्रणाली के समतुल्य, विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा और इसके द्वारा निर्गत दसवीं (X) तथा बारहवीं (XII) कक्षा के प्रमाण–पत्र अन्य औपचारिक शिक्षा बोर्डों जैसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E.), भारतीय विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा परिषद् (I.C.S.E.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) एवं अन्य बोर्डों के समतुल्य होगा।

- बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा पूरे राज्य में अध्ययन केन्द्र माध्यमिक स्तरीय 71 एवं उच्च माध्यमिक (माध्यमिक़ उच्च माध्यमिक) स्तरीय 3149 है।

- अकादमिक वर्ष 2016–17 (सत्र–01 मार्च से 31 अगस्त एवं 01 सितम्बर से 28 फरवरी तक) में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 26372 है, जिसमें पुरूष की संख्या 15713 एवं महिला की संख्या 10659 है। सामान्य वर्ग में कुल छात्रों की संख्या 10025, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल छात्रों की संख्या 6773, पिछड़ा वर्ग में कुल

छात्रों की संख्या 5981, अनुसूचित जाति में कुल छात्रों की संख्या 3130, अनुसूचित जनजाति में कुल छात्रों की संख्या 455 एवं भूतपूर्व सैनिक में कुल छात्रों की संख्या 8 है।

- अकादमिक वर्ष 2017–18 (सत्र–01 मार्च से 31 अगस्त तक) में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 18110 (31.10.2017 तक) है।

- अकादमिक वर्ष 2017 (सत्र–प्रथम परीक्षा, जून, 2017) में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 10323 है,जिसमें पुरूष की संख्या 6367 एवं महिला 3956 है। सामान्य वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 3614, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2681, पिछड़ा वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2463, अनुसूचित जाति में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1355, अनुसूचित जनजाति में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 206 एवं भूतपूर्व सैनिक में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 4 है।

- अकादमिक वर्ष 2017 (सत्र–द्वितीय परीक्षा, दिसम्बर, 2017) में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 17566 है जिसमें पुरूष की संख्या 9908 एवं महिला 7658 है। सामान्य वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 6937, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 4310, पिछड़ा वर्ग में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 4011, अनुसूचित जाति में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2051, अनुसूचित जनजाति में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 253 एवं भूतपूर्व सैनिक में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 4 है।

fcgkj jkT; enjlk f'k{kk cksMZ

बुनियादी तौर पर बिहार मदरसा शिक्षा समिति की स्थापना 1922 में हुई थी, परन्तु इस कार्यालय को कानूनी हैसियत 1979 में Ordinance द्वारा प्रदान की गई जिसका नाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड रखा गया। अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 बन चुका है। इसी अधिनियम के आधार पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड वर्तमान में संचालित है।

- वर्तमान में 1942 मदरसे अनुदानित श्रेणी के हैं।
- वास्तानिया (मिडिल समकक्ष) स्तर के कुल 1732 अनुदानित मदरसे हैं।
- फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) स्तर के कुल 199 अनुदानित मदरसे हैं।
- मौलवी (समकक्ष इन्टरमिडिएट) स्तर की कुल 57 अनुदानित मदरसे हैं।
- आलिम (समकक्ष Graduate) स्तर के कुल 21 अनुदानित मदरसे हैं।
- फाजिल (समकक्ष M.A.) स्तर के कुल 13 अनुदानित मदरसे हैं।
- वर्ग वस्तानिया, फौकानिया एवं मौलवी स्तर तक के अनुदानित मदरसे के सृजित पदों की कुल संख्या 12674 है।
- वर्ग फौकानिया एवं मौलवी स्तर तक के अनुदानित मदरसों से प्रस्वीकृत शिक्षकेत्तर कर्मियों के सृजित पदों की संख्या 511 है।
- सरकार ने 2459+1 कोटि के मदरसों को संकल्प संख्या–162 दिनांक 15.02. 2011 के द्वारा अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु अनुमति प्रदान की है।

- बिहार सरकार ने ज्ञापांक 1037 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा 2459 कोटि के मदरसों में से 205 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 199 वस्तानिया (समकक्ष मिडिल) और 06 फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) स्तर के हैं।
- 2459 कोटि में से दूसरे किस्त के द्वारा 609 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में शामिल किया गया जिसमें 589 वस्तानिया (समकक्ष मिडिल) और 20 फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) स्तर के हैं।
- इस तरह से 2459+1 कोटि के मदरसों में से 814 मदरसों को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने अनुदान की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है।
- फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) के लगभग सभी मदरसों के छात्र एवं छात्राओं को बिहार सरकार की तरफ से साईकिल योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।
- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की तरफ से अनुदानित मदरसों में पोशाक योजना भी लागू है।
- सभी अनुदानित मदरसों में बिहार सरकार की ओर से मिड डे मिल योजना लागू है।
- सभी अनुदानित मदरसों में बिहार सरकार की ओर से छात्रवृति भी दी जाती है।
- कार्यालय मदरसा बोर्ड से तैयार करदा प्रोजक्ट के तरह बिहार सरकार के अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार ने 4,33,87000/– मदरसा के उन्नयन के लिए मंजूर किया है।
- 1127 मदरसों में मार्डल एजुकेशन के लिए प्रति मदरसा तीन पदों पर विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा मदरसों में 25,000/– हजार प्रति मदरसा के दर से `56350000/– Teaching & Learning Material के लिए राशि उपलब्ध कराया है जिसे सभी 1127 मदरसों को उपलब्ध करा दिया गया है।
- सभी 1127 मदरसों के लिए विज्ञान और गणित किट्स हेतु15 हजार रूपय प्रति मदरसों की दर से `16,95,000/– उपलब्ध करा दिया गया है।
- 1127 मदरसों में विज्ञान और कम्प्यूटर लैब इत्यादि के लिए प्रति मदरसा एक लाख रूपया स्वीकृत किया गया है।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने फौकानिया (कक्षा X) में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण सभी छात्र–छात्राओं को 10,000/– रूपया (दस हजार) रूपय प्रति छात्र–छात्रा एवं मौलवी (कक्षा XII) में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को

15,000/– (पन्द्रह हजार) रूपया प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि देने का फैसला वर्ष 2017 से लागू है।

- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के वर्ग फौकानिया एवं मौलवी के प्रमाण–पत्र को COBSE (Council of Boards of School Education of India) ने मान्यता प्रदान की है।
- NIOS (Nation Institute of Open Schooling) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के फौकानिया एवं मौलवी के प्रमाण–पत्रों को मान्यता प्रदान की है।
- बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,पटना ने वर्ग फौकानिया एवं मौलवी के पाठ्यक्रमों में विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया है।
- वर्ग फौकानिया के इस्लामिक शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा में आंशिक परिवर्तन करते हुए फौकानिया के बारह पर्चो में से दो पर्चो को घटा कर कुल दस पर्चो पर आधारित किया गया है।
- बिहार सरकार की पहल पर पूर्णिया में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्देश दिया गया है। जिसका उद्घाटन शीघ्र किया जाना है। जिसमें पूर्णिया, कोशी एवं भागलपुर प्रमण्डल सम्मिलित है।

अध्यापक शिक्षा

राज्य में अध्यापक शिक्षा को नये सिरे से बेहतर स्वरूप में विकसित करने हेतु व्यापक प्रयास किये गये हैंः–

भौतिक उपलब्धिः–

- राज्य के राजकीय 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 23 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, 04 प्रखंड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (बाईट) एवं 06 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कुल 66 प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण संचालित है। वर्ष 2015 में एनŒसीŒटीŒईŒ की अधिसूचना, 2014 के अनुसार अब राज्य के सभी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय बीŒएड कोर्स संचालित किया जा रहा है।
- इन राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में एनŒसीŒटीŒईŒ के मानक के अनुरूप व्याख्याताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल वांछित अहर्ताधारी शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता के 1060 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग (बीŒपीŒएसŒसीŒ) के माध्यम से परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के सभी राजकीय 66 प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनके भवन निर्माण की कार्रवाई बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराई जा रही है। लगभग 25 प्रति"ात संस्थान का भवन निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
- राज्य के 05 जिलों, जहानाबाद, अरवल, सुपौल, जमुई एवं सहरसा में नये डायट की स्थापना एवं 08 अतिरिक्त नये अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सिवान, पŒ चम्पारण, अररिया, मुंगेर, पटना, बक्सर, औरंगाबाद एवं पूर्णियाँ की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, यथा बाल्मीकिनगर (पŒ चम्पारण), दरियापुर (पूŒ चम्पारण), मुसापुर (कटिहार) एवं माधोपट्टी (दरभंगा) में 04 प्रखंड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (बाईट) संचालित हैं।
- विश्व बैंक संपोषित Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Programme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 40 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं 250 प्रशिक्षण केन्द्रों पर ICT की व्यवस्था की जा रही है।

वित्तीय उपलब्धिः–

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत `18.53 करोड़ का उपबंध प्राप्त है जिसके विरूद्ध लगभग `07.00 करोड़ व्यय प्रक्रियाधीन है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आवत्ती मद के शेष `39. 25 करोड़ वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय करने हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राशि की निकासी प्रक्रियाधीन है।

- विश्व बैंक संपोषित Enhancing Teacher Effectiveness पद Bihar Programme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निर्धारित `232.17 करोड़ के विरूद्ध `126.8725 करोड़ की निकासी की स्वीकृति एवं विमुक्ति कर व्यय हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिŒ एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

<u>उच्च शिक्षा</u>

वित्तीय वर्ष 2017–18 की उपलब्धियाँ

- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत चार उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों (i) Centre for Geographical Studies (ii) School of Journalism and Mass Communication (iii) Patliputra School of Economics and (iv) Centre for River Studies की स्थापना की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण, स्थापना एवं अन्य मदों में लगभग `82 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है तथा `17.95 करोड़ स्वीकृत करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

- राज्य के 112 महाविद्यालयों एवं 07 विश्वविद्यालयों अर्थात कुल 119 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को नैक से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुल 11 विषयों में कुल 1354 सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हो चुकी है।

- राज्य में 04 निजी विश्वविद्यालय अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, के0के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ एवं डॉ0 सी0वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। साथ ही 04 निजी विश्वविद्यालयों को संचालित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में `4436.66 लाख की राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में स्वीकृत की गई है, जो शीघ्र ही विमुक्त हो जाएगी।

- राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर त्वरित गति से नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन हेतु अधिनियम अधिसूचित हो चुका है। आयोग को शीघ्र ही संचालित करने की योजना है।

- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16082 विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के सम्यक संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है, जो शीघ्र ही संचालित होगा।

- राज्य सरकार द्वारा स्थापित तीन नये विश्वविद्यालयों पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर एवं पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना की संचालन की अधिसूचना जारी की जाएगी।

- राज्य सरकार द्वारा शिवहर अनुमण्डल में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसके लिए `2,00,00,000/– (दो करोड़) स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार राज्य–पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना

महत्त्वपूर्ण भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँः–

- निगम द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, शैक्षणिक वर्ष 2017–18 अन्तर्गत वर्ग–I से वर्ग– VIII तक के सभी छात्र–छात्राओं को प्रखंड स्तर पर आपूर्ति करने हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा 5,94,41,219 पुस्तकों के लिए प्राप्त अधियाचना में से दिनांक 15.02.2018 तक 5,91,48,523 (लगभग 99. 51प्रतिशत) पुस्तकों प्रखंड स्तर पर आपूर्ति कर दी गई है।

- सामान्य बिक्री के अन्तर्गत वर्ग–IX से XII तक की सभी पाठ्य–पुस्तकें जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू, मैथिली, बंगला, मगही, भोजपुरी भाषाओं की पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, , निगम के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियॉ स्थित गोदामों एवं थोक/खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके तहत वर्ष 2017–18 में जनवरी, 2018 तक `7.42 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। वर्ष के अंत तक लगभग `10.00 करोड़ की बिक्री करने का लक्ष्य है।

- जॉब वर्क के अर्न्तगत राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों यथा पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग जन शिक्षा , शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् इत्यादि को आवश्यकतानुरूप पुस्तकें, रिपोर्ट कार्ड, मूल्यांकन पंजी,वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रपत्र आदि समयबद्व तरीकों से मुद्रित कराकर उपलब्ध कराई गई है।

- निगम द्वारा पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों के मुद्रण हेतु राज्य के बाहर से कागज के क्रय पर वर्ष 2017–18 में नवम्बर, 2017 तक `23,91,698. 00एवं डब्ल्यू.सी.टी. टैक्स की राशि वाणिज्य–करविभाग में जमा की जा चुकी है। वाणिज्य कर पदाधिकारी, विशेष अंचल, पटना के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में एडमिटेड इन्ट्री टैक्स के रूप में `74,26,931/–जमा की जा चुकी है।

- निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में `1.00 करोड़ की राशि का अनुदान दिया गया है।

- निगम द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 (जनवरी, 2018 तक) शैक्षिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, पर्यावरण संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा गेम प्ले, राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी–2017 के प्रतियोगियों के पुरस्कार एवं भोजन तथा लोकनृत्य प्रतियोगिता आदि आयोजित करने के लिए रू. 1.97 लाख, नवरस स्कूल ऑफ परफोरमिंग आर्ट्स, पटना, परफोरमिंग आर्ट प्रोग्राम हेतु `75,000/– पटना विमेन्स कॉलेज, पटना स्लम एरिया के बच्चों को मुफ्त पुस्तक वितरण हेतु `1,88,961/– रेजिमेन्टल 11 बिहार बटालियन एन.सी.सी. कैडट के भ्रमण हेतु `4,50,000/– बिहार जम्प रोप एशोसिएसन को `10,000/– को योगदान स्वरूप भुगतान किया गया। आगे भी ये गतिविधियॉ जारी रखने की योजना है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC)

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के महत्त्वाकांक्षी योजनायें चल रही हैं। इनमें से एक योजना है शैक्षणिक भवनों का निर्माण कार्य। विभिन्न जिलों में शैक्षणिक भवनों का निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, जो निम्न हैः–

1.उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन (USS)

कुल स्वीकृत–771इकाई, प्रति इकाई लागत– `58 लाख, कार्यादेश निर्गत–768 इकाई, कार्य पूर्ण – 577 इकाई,निमार्णाधीन– 100 इकाई,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 94 इकाई।

2.मॉडल स्कूल भवन (MS) कुल स्वीकृत –353 इकाई, प्रति इकाई लागत– `3. 36 करोड़, कार्यादेश निर्गत– 338 इकाई, कार्य पूर्ण – 218 इकाई, निमार्णाधीन – 77 इकाई, विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 58 इकाई।

3. उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन (SSS)

कुल स्वीकृत – 993 इकाई, प्रति इकाई लागत – `1.15 करोड़, कार्यादेश निर्गत – 992 इकाई, कार्य पूर्ण – 578 इकाई, निमार्णाधीन – 310 इकाई, विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 105 इकाई।

4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन (HSS)

कुल स्वीकृत – 226 इकाई, प्रति इकाई लागत – `1.15 करोड़, कार्यादेश निर्गत – 222 इकाई, कार्य पूर्ण – 121 इकाई, निमार्णाधीन – 74 इकाई, विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 31 इकाई।

5. उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन (USSS)

कुल स्वीकृत –357 इकाई, प्रति इकाई लागत – `1.15 करोड़,कार्यादेश निर्गत– 336 इकाई, कार्य पूर्ण – 114 इकाई,निर्माणाधीन – 162 इकाई,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 81 इकाई।

6.प्रशिक्षण शैक्षणिक महाविद्यालय भवन (CTE)

कुल स्वीकृत – 14 इकाई, प्रति इकाई लागत –`11.31करोड़,कार्यादेश निर्गत – 13 इकाई,कार्य पूर्ण – 2 इकाई,निमार्णाधीन – 9 इकाई,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये भवनों की संख्या– 3 इकाई।

7.प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTEC)

कुल स्वीकृत – 22 इकाई, प्रति इकाई लागत–`10.00 करोड़, कार्यादेश निर्गत – 22 इकाई,कार्य पूर्ण – 12 इकाई, निमार्णाधीन –9इकाई,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये भवनों की संख्या– 1 इकाई।

8.शिक्षा भवन

कुल स्वीकृत– 09 इकाई,प्रति इकाई लागत– `2.30 करोड़ कार्यादेश निर्गत – 9 इकाई,कार्य पूर्ण – 4 इकाई,निमार्णाधीन – 4 इकाई ,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये भवनों की संख्या– 1 इकाई।

9.बालिका छात्रावास भवन का निर्माणः

कुल स्वीकृत – 194 इकाई,प्रति इकाई लागत– `1.36 करोड़,कार्यादेश निर्गत– 186 इकाई,कार्य पूर्ण –124 इकाई,निमार्णाधीन – 22 इकाई,विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये विद्यालयों की संख्या– 48 इकाई।

10.आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भवन का निर्माणः

कुल स्वीकृत – 1 इकाई,प्रति इकाई लागत– ` 99.04करोड़,सभी भवनों की संरचना कार्य पूर्ण हो चुका है। अंदुरूनी एवं बाह्य भाग का प्लास्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है। फ्लोरिंग एवं अन्य फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।

11.DIET भवन का निर्माण

कुल स्वीकृत – 31 इकाई,प्रति इकाई लागत– `11.31 करोड़,कार्यादेश निर्गत – 31 इकाई,कार्य पूर्ण – 15 इकाई,निमार्णाधीन – 13 इकाई, विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये भवनों की संख्या– 03 इकाई।

12.BIET भवन का निर्माण

कुल स्वीकृत – 04 इकाई,प्रति इकाई लागत – `6.90 करोड़,कार्यादेश निर्गत – 4 इकाई,कार्य पूर्ण – 4 इकाई।

वार्षिक योजना 2018–19 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा (राज्य योजना)

शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार – राज्य में बड़ी संख्या में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विगत नियुक्तियों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं जिसका राज्य स्तर पर निराकरण संभव नहीं था। अतः जिला स्तर पर शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2018–19 के लिए उद्व्यय `550.00 लाख प्रस्तावित है।

राज्य अपीलीय प्राधिकार – राज्य में बड़ी संख्या में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विगत नियुक्तियों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं जिसका राज्य स्तर पर निराकरण करना है। अतः राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2018–19 के लिए उद्व्यय `0.01 लाख प्रस्तावित है।

विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन– राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 11–12, नवम्बर को शिक्षा दिवस एवं 22–23 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन पूरे राज्य में किया जाता है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन किया जाता है। इस में समाज के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2018–19के लिए उद्व्यय `500.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>बिहार बाल भवन, किलकारी के लिए अनुदान</u> – वित्तीय वर्ष 2008–09 में बिहार बाल भवन की स्थापना बच्चों में शैक्षिक के साथ–साथ सांस्कृतिक, रचनात्मक, कलात्मक, गुणों के विकास एवं उनके चतुर्दिक विकास हेतु की गयी है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2018–19के लिए उदव्यय `400.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>विभाग का कम्प्यूटराईजेशन :–</u> इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2018–19के लिए उद्व्यय `20.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>मुख्यमंत्री पोशाक योजना</u>:– इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– III में नामांकित छात्र/छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष `500/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु उदव्यय `31000.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनाः–</u> इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– 6 से 8 में नामांकित छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष `700/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु उद्व्यय `15000.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजनाः–</u> राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक धरोहरों से अवगत कराने एवं शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष प्रति विद्यालय `20000/– की राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में परिभ्रमण हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए उद्व्यय `3000.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>निजी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुदानः–</u> राज्य के निजी विद्यालयों को विशेष परिस्थिति में कभी–कभी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्व्यय `0.01 लाख प्रस्तावित है।

<u>शिक्षा का अधिकारः–</u> शिक्षा का अधिकार कानून (2010) के अनुपालन में प्रारम्भिक समस्याओं के बाद निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराया जाने लगा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्व्यय `4000.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>सर्व शिक्षा अभियान(राज्य योजना)–</u>

भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि अनुमोदित बजट के अनुरूप नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण शिक्षकों को वेतन देने में कठिनाई को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीम के अन्तर्गत राशि की व्यवस्था की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्व्यय `500000.00 लाख प्रस्तावित है।

<u>छात्रवृत्ति (वर्ग I ls VIII):–</u> राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग I ls VIII तक नामांकित सभी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्व्यय `12500.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु उपस्करः–

जिन प्रारंभिक चिद्यालयों में उपस्कर की कमी है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उपस्कर की व्यवस्था हेतु राशि की व्यवस्था की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्व्यय `500.00 लाख प्रस्तावित है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को अतिरिक्त सहायताः– कुछ विशेष कार्यक्रमों हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है। इस हेतु उक्त कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से राशि प्रस्तावित हैः–

नये विद्यालय भवन के निर्माण हेतुः– सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नये विद्यालय भवन का निर्माण में अतिरिक्त सहायता के रूप में राशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु उद्व्यय `5000.00 लाख प्रस्तावित है।

मध्य विद्यालय के बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षणः– महिला सशक्तीकरण एवं बालिकाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु मध्य विद्यालय के बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के संचालन हेतु उद्व्यय `0.01 लाख प्रस्तावित है।

बिहार जूनियर स्पोर्टस् मीट ''तरंग''ः– बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य में बिहार जूनियर स्पोर्टस् मीट ''तरंग'' का आयोजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के संचालन हेतु उद्व्यय `0.01 लाख प्रस्तावित है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मध्याह्न भोजन योजना– इस योजना का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं नामांकन वृद्धि तथा बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड/संस्कृत बोर्ड से सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों सहित) में अध्ययनरत वर्ग I-VIII के बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के सभी जिले इस योजना से आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 मे मध्याह्न भोजन योजना हेतु राज्य योजना मद में `86858.49 लाख एवं केन्द्रांश मद में `130287.74 लाख उदव्यय प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान– प्रारंभिक शिक्षा (I-VIII) के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में प्रारम्भ की गयी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 75:25 था लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 65:35 हो गया है। वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

वार्षिक योजना 2018–19 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य योजना मद में उदव्यय `238410.18 लाख एवं केन्द्रांश मद में `660000.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2018–19

(लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश
1	शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार		550.00
2	राज्य अपीलीय प्राधिकार		0.01
3	विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन		500.00
4	बिहार बाल भवन,किलकारी के लिए अनुदान		400.00
5	विभाग का कम्प्यूटराईजेशन		20.00
6	मुख्यमंत्री पोशाक योजना		31000.00
7	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना		15000.00
8	मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना		3000.00
9	निजी विद्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान		0.01
10	शिक्षा का अधिकार		4000.00
11	सर्व शिक्षा अभियान (राज्य योजना)		500000.00
12	छात्रवृत्ति (वर्ग 1 से 8)		12500.00
13	प्रारम्भिक विद्यालयों हेतु उपस्करः–		500.00
14	नये विद्यालय भवन निर्माण को सहायता		5000.00
15	मध्य विद्यालय के बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण		0.01
16	बिहार जूनियर स्पोर्टस् मीट ‘‘तरंग’’		0.01
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1	मध्याह्न भोजन योजना	86858.49	130287.74
2	सर्व शिक्षा अभियान	238410.18	660000.00
	कुल	**325268.67**	**1362757.78**

Ekk/;fed f’k{kk

mPp ek/;fed fo|ky;ksa dh LFkkiuk%& izR;sd ikWp fdyksehVj ij mPp ek/;fed fo|ky;ksa dh miyC/krk lqfuf’pr djus gsrq fo|ky;ksa dh LFkkiuk dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `10000-00 yk[k izLrkfor gSA

**ek/;fed ,oa mPp ek/;fed fo|ky;ksa dk lqn`<+hdj.k%&** ek/;fed f'k{kk ds lqn`<hdj.k gsrq ek/;fed ,oa mPp ek/;fed fo|ky;ksa esa vko';drk vuqlkj vfrfjDr oxZ d{kksa ds fuekZ.k lkFk gh mu fo|ky;ksa esa is;ty] 'kkSpky;] iqLrdky;] dEI;wVj&d{k] dkWeu&:e bR;kfn dk fuekZ.k djk;k tk jgk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `800-00 yk[k izLrkfor gSA

mPp ek/;fed fo|ky;ksa gsrq miLdj%&

ftu ek/;fed fp|ky;ksa esa miLdj dh deh gS muds fy, jkT; ljdkj }kjk miLdj dh O;oLFkk gsrq jkf'k dh O;oLFkk dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `1000-00 yk[k izLrkfor gSA

mPp ek/;fed fo|ky;ksa gsrq iz;ksx'kkyk midj.k%

ftu mPp ek/;fed fp|ky;ksa esa iz;ksx'kkyk midj.k dh deh gS muds fy, jkT; ljdkj }kjk iz;ksx'kkyk midj.k dh O;oLFkk gsrq jkf'k dh O;oLFkk dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `0-01 yk[k izLrkfor gSA

f’k{kdksa ds izf’k{k.k dk mUeq[khdj.k%&

bl ;kstuk gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `0-01 yk[k izLrkfor gSA

Nk=ksa dk 'kS{kf.kd ifjHkze.k %& Nk=ksa esa ifjn'kZu ds ek/;e ls f'k{kk ds izfr tkx:drk izdV djus ds mÌs'; ls bl ;kstuk dk lapkyu fd;k tk jgk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, mnO;; `500-00 yk[k izLrkfor gSA

f’k{kk Hkou dk fuekZ.k %& ize.My ,oa ftyk Lrj ij f'k{kk foHkkx ds cgqr lkjs dk;kZy; ;k rks fo|ky; esa pyk;s tk jgs gS vFkok fdjk;s ij py jgs gSA bu txgksa ij f'k{kk foHkkx dk ,d dsUnzh;d`r dk;kZy; gks blds fy, ;g ;kstuk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mnO;; `300-00 yk[k izLrkfor gSA

fleqyrYyk vkoklh; fo|ky; dk Hkou fuekZ.k %& fcgkj ljdkj us teqbZ ftys ds fleqrYyk esa ,d vkoklh; fo|ky; dh LFkkiuk dh gS ftlesa foxr nks l=ksa esa 60 yM+ds ,oa 60 yM+fd;ksa dk ukekadu gks pqdk gSA bl fo|ky; ds Hkou fuekZ.k gsrq dkjZokbZ py jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mnO;; `200-00 yk[k izLrkfor gSA

**O;kolkf;d f’k{kk dk lqn`<+hdj.k%&** jkstxkjksUeq[k f'k{kk miyC/k djkus gsrq O;olkf;d f'k{kk dk lqn`<+hdj.k fd;k tk jgk gSaA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mnO;; `0-01 yk[k izLrkfor gSA

fcgkj ek/;fed f’k{kk ifj"kn~ dks vuqnku%& fcgkj ek/;fed f’k{kk ifj"kn~ dks vuqnku gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 es mnO;; `0-01 yk[k izLrkfor gSA

O;kolkf;d f'k{kk] Nk=o`fr ,oa Nk=kokl gsrq lkslkbZVh dks vuqnku %&

bl dk;Z ds fy, foÙkh; o"kZ 2018&19 esa mn~O;; `0-01 yk[k izLrkfor gSA

fo|ky;ksa ds fy, tehu dk vf/kxzg.k %&

bl dk;Z ds fy, foÙkh; o"kZ 2018&19 esa mn~O;; `200-00 yk[k izLrkfor gSA

eq[;ea=h ckyd lkbZfdy ;kstuk%& bl ;kstuk ds vUrxZr d{kk 9 esa i<+us okys lHkh Nk=ksaa dks lkbZfdy Ø; djus gsrq 2500@& iznku dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq mn~O;; 17500-00 yk[k izLrkfor gSA

eq[;ea=h ckfydk lkbZfdy ;kstuk%& bl ;kstuk ds vUrxZr d{kk 9 esa i<+us okyh lHkh Nk=kvksa dks lkbZfdy Ø; djus gsrq` 2500@& iznku fd;k tkrk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq` mnO;; `18500-00 yk[k izLrkfor gSA

eq[;ea=h 'krkCnh ckfydk iks'kkd ;kstuk%& bl ;kstuk ds varxZr 11oha ,oa 12oha oxZ d{k dh Nk=kvksa dks iks'kkd ds Ø; gsrq izfr Nk=k 1000@& dh nj ls jkf'k miyC/k djk;h tkrh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq mnO;; `16500-00 yk[k izLrkfor gSA

eq[;ea=h izksRlkgu@Nk=o`fÙk ;kstuk%& ;g ,d jkT; laiksf"kr ;kstuk gSA bl ;kstuk varxZr oSlh lHkh Nk=k,a dks] tks fcgkj fo|ky; ijh{kk lfefr }kjk vk;ksftr 10oha dh cksMZ ijh{kk eas izFke Js.kh ls mÙkh.kZ gks 11oha esa ukekadu djkrh gS] 10]000@& izfr Nk=k dh nj ls izksRlkgu jkf'k miyC/k djk;h tkrh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq mn~O;; `16200-00 yk[k izLrkfor gSA

fcgkj eqDr fo|ky;h ijh{kk cksMZ%& fcgkj eqDr fo|ky;h ijh{kk cksMZ ;kstuk gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mnO;; `500-00 yk[k izLrkfor gSA

lSusVjh uSifdu%& jkT; ds ljdkjh e/; ,oa mPp ek/;fed fo|ky;ksa esa ukekafdr Nk=kvksa dks lSusVjh uSifdu miyC/k djk;k tkrk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq mn~O;; `4000-00 yk[k izLrkfor gSA

mPp ,oa mPp ek/;fed fo|ky;ksa esa dEI;wVj izf'k{k.k

jkT; ds mPp ,oa mPp ek/;fed fo|ky;ksa ds Nk=@Nk=kvksa dks dEI;wVj izf'k{k.k gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl gsrq mn~O;; `500-00 yk[k izLrkfor gSA

ekWMy Ldwy%& bl dsUnz çk;ksftr ;kstuk ds rgr jkT; ds lHkh ftyksa esa vkfFkZd :i ls fiNMs ç[kaMksa esa dsUnzh; fo|ky;@uoksn; fo|ky; dh rtZ ij ekWMy Ldwy ds v/kwjs Hkou dks iw.kZ djus gsrq jkT; Ldhe ls jkf'k dh O;oLFkk dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa jkT; ;kstuk en esa `500-00 yk[k mn~O;; izLrkfor gSA

dsUnz izk;ksftr ;kstuk

jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku %& jk"Vªh; ek/;fed f'k{kk vfHk;ku ds rgr ek/;fed f'k{kk dk loZO;kihdj.k eq[; mís'; gSA 5 fd0 eh0 dh ifjf/k esa mPp fo|ky; ,oa 8 fd0 eh0 dh ifjf/k esa mPp ek/;fed fo|ky; dh lqfo/kk miyC/k djkus dh ;kstuk gSA

blds fy, jkT; ds e/; fo|ky;ksa dks mPp fo|ky; esa mRØfer djus ,oa ek/;fed fo|ky;ksa dks mPp ek/;fed fo|ky; esa mRØfer djus dh ;kstuk gSA bl ;kstuk dk eq[; mís'; gS fd 14&18 vk;q oxZ ds Nk=ksa dks ek/;fed Lrj dh xq.koÙkk iw.kZ f'k{kk miyC/k gks ldsA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 ds fy, ek/;fed f'k{kk vfHk;ku ds fy, jkT; ;kstuk en esa mnO;; `16666-66 yk[k ,oa dsUnzka'k en esa `25000-00 yk[k izLrkfor gSA

izLrkfor okf"kZd ;kstuk 2018&19

`¼yk[k esa½

Ekk/;fed f'k{kk			
क्रमांक	योजना का नाम	राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश
1	उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना		10000.00
2	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण		800.00
	उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु उपस्कर		1000.00
	उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रयोगशाला उपकरण		0.01
3	शिक्षको के प्रशिक्षण का उन्मुखीकरण		0.01

4	छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण		500.00
5	शिक्षा भवन का निर्माण		300.00
6	सिमुतल्ला अवासीय विद्यालय का भवन निर्माण		200.00
7	व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण		0.01
8	बिहार माध्यमिक शिाक्षा परिषद को अनुदान		0.01
9	व्यवसायिक शिक्षा, छात्रवृति एवं छात्रावास हेतु सोसाईटी		0.01
10	विद्यालयों के लिए जमीन का अधिग्रहण		200.00
11	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना		17500.00
12	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना		18500.00
13	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना		16500.00
14	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति योजना		16200.00
15	बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा बोर्ड		500.00
16	सैनेटरी नैपकिन		4000.00
17	उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण		500.00
18	मॉडल स्कूल की स्थापना		500.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	25000.00	16666.66
	योग	**25000.00**	**103866.71**

'kks/k ,oa izf’k{k.k

v/;kid f’k{kk laLFkku

f'k{kk dk vf/kdkj dkuwu ds ykxw gksus ds mijkar jkT; esa f'k{kdksa dh cM+h la[;k esa vko';drk gSA ijarq jkT; esa izf'kf{kr f'k{kdksa dh Hkkjh deh gSA blfy, jkT; esa iwoZ ls LFkkfir f'k{kd izf'k{k.k egkfo|ky;ksa dks pkyw djus ,oa vU; izf'k{k.k egkfo|ky;ksa ls izf'kf{kr f'k{kdksa dh la[;k c<+kus ds mís'; ls ;g laLFkku vR;ar egÙoiw.kZ gks x;k gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa jkT; ;kstuk en esa mnO;; 600-94 yk[k]jkT;ka'k en esa 41-94 yk[k rFkk dsUnzka’k en esa 100-00 yk[k izLrkfor gSA

fcgkj jkT; yksd iqLrdky; ,ao lwpuk dsUnz izkf/kdkj dks vuqnku%&

jkT; esa fcgkj jkT; yksd iqLrdky; ,oa lwpuk dsUnz izkf/kdkj dk xBu fd;k x;k gSA blds fy, okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 0-01 yk[k izLrkfor gSA

f’k{kd f’k{kk ds fy, okg; lEiksf"kr ifj;kstuk

f’k{kd f’k{kk ds fy, okg; lEiksf"kr ifj;kstuk gsrq forh; o"kZ 2018&19 **esa** mn~O;; 21000-00 yk[k jkT; ;kstuk en esa mnO;; 9000-00 yk[k izLrkfor gSA

izLrkfor okf"kZd ;kstuk 2018&19

¼'kks/k ,oa izf’k{k.k½

Øekad	;kstuk dk uke	jkf'k ¼yk[k esa½	
		dsUnzka’k	jkT;ka’k
1	v/;kid f’k{kk laLFkku	100-00	641-94
2	fcgkj jkT; yksd iqLrdky; ,ao lwpuk dsUnz izkf/kdkj dks vuqnku		0-01
3	f’k{kd f’k{kk ds fy, okg; lEiksf"kr ifj;kstuk	21000-00	9000-00
	;ksx	**21100-00**	**9641-95**

mPp f'k{kk

fcgkj LVwMsaV ØsfMV dkMZ%& jkT; esa mPp f’k{kk ds fy, Nk=@Nk=kvksa dks lgk;rk iznku djus gsrq fcgkj LVwMsaV ØsfMV dkMZ ;kstuk ykxw dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 14800-00 yk[k izLrkfor gSA

pk.kD; fof/k fo’ofo|ky;%& pk.kD; jk"Vªh; fof/k fo'ofo|ky; dh LFkkiuk 2006 esa dh xbZA bl laLFkku dks mUur cukus gsrq vHkh dqN vkSj dk;Z djus dh ;kstuk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 150-00 yk[k izLrkfor gSA

dkjeu QslfyVh de ;wfVfyVh lsUVj %&

jkT; ;kstukUxZr ehBkiqj d`f"k iz{ks= esa lkekU; lqfo/kkvksa ;Fkk construction of Indors Sports Hall, Squash Court, Auditorium Health Centre and Utility cum Guest House ds fuekZ.k gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 1400-00 yk[k izLrkfor gSA

pUnzxqIr izca/ku laLFkku%& pUnzxqIr izca/ku laLFkku] iVuk dks lHkh rjg dh lqfo/kk,a miyC/k djkus dh ;kstuk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 1-00 yk[k izLrkfor gSA

jkT; ds fo'ofo|ky;ksa dk fodkl%& jkT; ds fo'ofo|ky;ksa ds fodkl ,oa jktdh; egkfo|ky;ksa ds lqn`<+hdj.k ,oa buesa xq.koÙkkiw.kZ mPp f'k{kk miyC/k djkus dh jkT; ljdkj dh ;kstuk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 eas mn~O;; 10000-00 yk[k izLrkfor gSA

Hkk"kkbZ vdkneh%& jkT; ds fofHkUu Hkk"kkbZ vdknfe;ksa dks lqn`<+ ,oa 'kks/kijd cukus dh ;kstuk gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 50-00 yk[k izLrkfor gSA

vk;ZHkê Kku fo'ofo|ky;%& jkT; dh lHkh rduhdh f'k{kk dks ,dhd`r djrs gq, mlds fodkl gsrq lHkh egkfo|ky;ksa dks vk;ZHkê Kku fo'ofo|ky; ls lac) fd;k x;k gSA lHkh laLFkkuksa dk ,d dSys.Mj fu/kkZfjr fd;k x;k gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 500-00 yk[k izLrkfor gSA

ijh{kk Hkou dk fuekZ.k%& jkT; ds lHkh izeaMyh; eq[;ky;ksa esa ijh{kk Hkou ds fuekZ.k dk fu.kZ; fy;k x;k gSA

foÙkh; Ok"kZ 2018&19 esa bl ;kstuk ds dk;kZUo;u gsrq mn~O;; 100-00 yk[k izLrkfor gSA

,0,u0 flagk lkekftd v/;;u laLFkku%& fofHkUu ;kstukvksa dk vuqJo.k ,oa ewY;kadu djus rFkk 'kks/k ,oa losZ{k.k dk;Z djus gsrq ,0,u0 flagk lkekftd v/;;u laLFkku vR;ar egÙoiw.kZ gSA

foÙkh; Ok"kZ 2018&19 esa bl gsrq mn~O;; 25-00 yk[k izLrkfor gSA

fMxzh dkWyst%& jkT; ljdkj us fu.kZ; fy;k gS fd izR;sd vuqeaMy esa de ls de ls ,d fMxzzh dkWyst dh LFkkiuk dh tk;A

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa bl ;kstuk ds dk;kZUo;u gsrq mn~O;; 2000-00 yk[k izLrkfor gSA

txthou jke lalnh; v/;;u laLFkku%& bl laLFkku gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 0-01 yk[k izLrkfor gSA

,y0,u0feJk lkekftd ,oa vkfFkZd v/;;u laLFkku%& bl laLFkku ds lqn`<+hdj.k gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 0-01 yk[k izLrkfor gSA

jktdh; efgyk egkfo|ky;] xqytkjckx%& bl laLFkku dks ljdkj mRd`"Vrk dk dsUnz (Center of Excellence) ds :i esa fodflr djus gsrq d`rladfYir gSA jktdh; efgyk egkfo|ky;] xqytkjckx ds Hkou fuekZ.k gsrq Hkwfe miyC/k gks pqdh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 5-00 yk[k izLrkfor gSA

jktdh; efgyk egkfo|ky;] xnZuhckx%& bl laLFkku esa dks Hkh mRd`"Vrk dk dsUnz (Center of Excellence) ds :i esa rCnhy djus gsrq ljdkj d`r ladfYir gSA blds fofHkUu vk;keksa dks leqUur djus rFkk blds th.kksZ)kj ds fy, dkjZokbZ dh tk jgh gSA

okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 5-00 yk[k dk izLrkfor gSA

lkeqnkf;d egkfo|ky; dh LFkkiuk%& bl gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa `0-01 yk[k izLrkfor gSA

jk"Vªh; mPp f'k{kk vfHk;ku%& okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa jkT; ;kstuk en esa mnO;; 2516-43 yk[k dsUnzka'k en esa 6000-00 yk[k izLrkfor gSA

dsUnzh; fo'ofo|ky;] eksfrgkjh ds fy, Hkwfe vf/kxzg.k%& bl gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 0-01 yk[k dk izko/kku fd;k x;k gSA

ukykUnk fo'ofo|ky; ds fy, Hkwfe vf/kxzg.k%& bl gsrq okf"kZd ;kstuk 2018&19 esa mn~O;; 0-01 yk[k dk izko/kku fd;k x;k gSA

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2018-19

`(लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश
1	स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड		14800.00
2	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय		150.00
3	कॉमन फेसलिटी कम यूटिलिटी सेन्टर		1400.00
4	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान		1.00
5	विश्वविद्यालयों को विकास सहायता		10000.00
6	विभिन्न अकादमियों को सहायता		50.00
7	"आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिट" की स्थापना		500.00
8	परीक्षा भवन का निर्माण		100.00
9	ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान		25.00
10	डिग्री कॉलेज		2000.00
11	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान		0.01
12	एल0एन0 मिश्रा सामाजिक एवं आर्थिक संस्थान		0.01
13	राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग		5.00
14	राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग		5.00
15	सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना		0.01
16	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	6000.00	2516.43
17	केन्द्रीय विश्वविद्यालय,मोतिहार के लिए भूमि अधिग्रहण		0.01
18	नालान्दा विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण		0.01
	कुल योग	6000.00	31552.48

tu f'k{kk

egknfyr] vYila[;d ,oa vfrfiNM+k oxZ v{kj vkapy ;kstuk

foŸkh; o"kZ 2013&14 ls 15 ls 35 vk;q oxZ dh egknfyr ,oa vfrfiNM+k oxZ dh efgykvksa rFkk vYila[;d leqnk; dh efgykvksa dks izfro"kZ cqfu;knh lk{kjrk ,oa fodklkRed ;kstukvksa ls rFkk 06&14 vk;q oxZ ds mijksDr leqnk; ds cPpksa dks fo|ky;h f'k{kk ls tksM+us ds fy;s jkT; esa egknfyr] vYila[;d ,oa vfrfiNM+k oxZ v{kj vk¡py ;kstuk dk lapkyu fd;k tk jgk gSA

foÙkh; o"kZ 2018&19 es egknfyr] vYila[;d ,oa vfrfiNM+k oxZ v{kj vkapy ;kstuk gsrq jkT; ;kstuk en esa mnO;; 25493-85 yk[k izLrkfor gSA

dsUnz izk;ksftr ;kstuk %& lk{kj Hkkjr fe'ku dk;ZØe

Hkkjr ljdkj }kjk jkT; ljdkj ds lg;ksx ls fcgkj ds lHkh 38 ftyksa esa lk{kj Hkkjr fe'ku dk;ZØe 15$ vk;q oxZ ds fuj{kjksa dks fo'ks"kdj efgyk fuj{kjksa dks lk{kj djus] mUgsa tkx:d djus ds mÌs'; ls lapkfyr fd;k tk jgk gSA blesa lEiw.kZ dk;ZØe O;; dk 60 izfr'kr Hkkjr ljdkj ,oa 40 izfr'kr jkT; ljdkj ogu djrh gSA dsUnz ljdkj us rRdky bl ;kstuk ds vof/k 31 ekpZ 2018 rd j[kh gSA

izLrkfor okf"kZd ;kstuk 2018&19 ¼ yk[k esa½

Øekad	;kstuk dk uke	jkf'k	
		dsUnzka'k	jkT;ka'k
1	egknfyr] vYila[;d ,oa vfrfiNM+k oxZ v{kj vkapy ;kstuk		25493-85
2	lk{kj Hkkjr fe'ku dk;ZØe	15-00	6-30
	dqy	**15-00**	**25500-15**

foHkkxh; lajpuk ¼eq[;ky;½

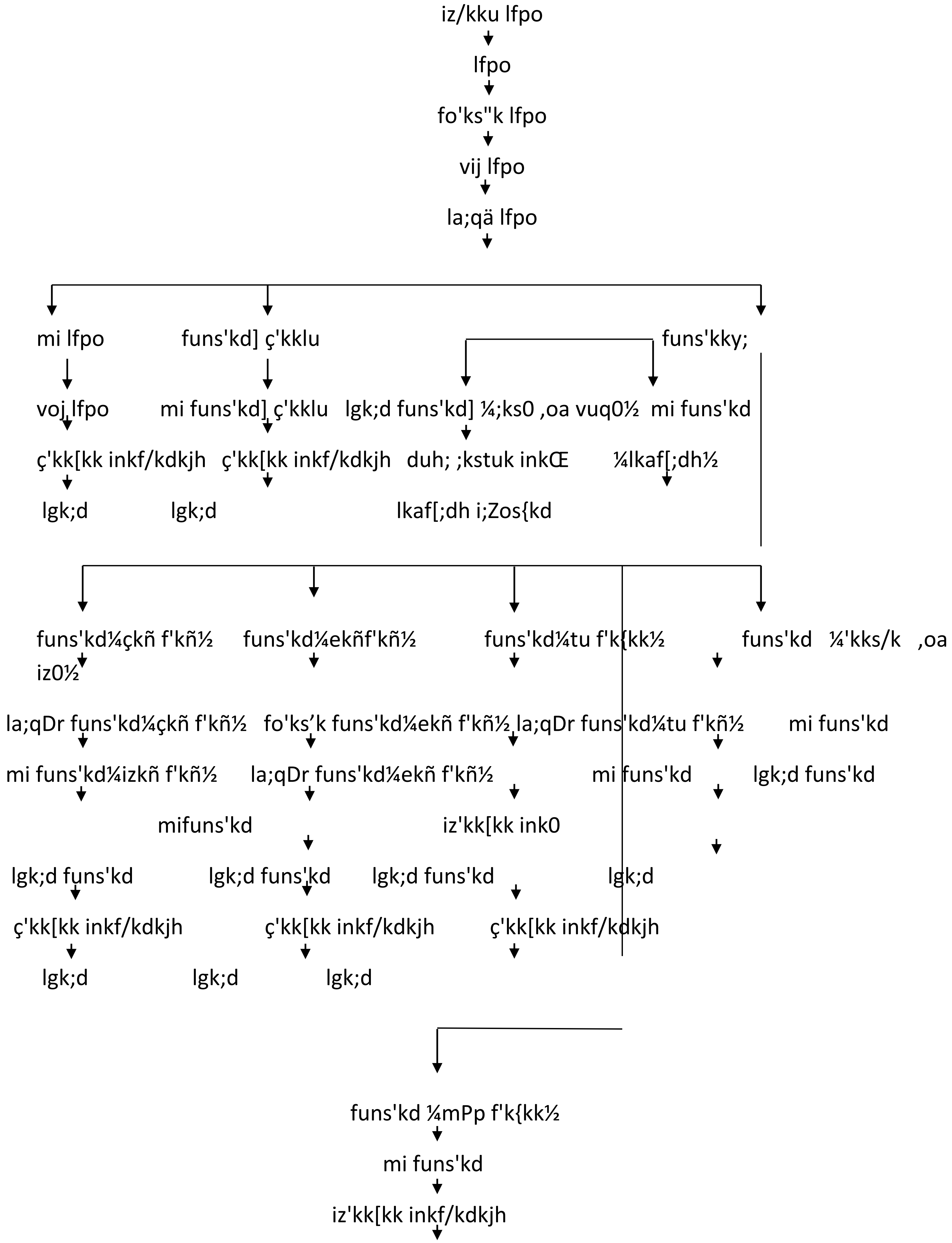

lgk;d

{ks=h; Lrj ij lajpuk

{ks=h; f'k{kk mi funs'kd

↓

ftyk f'k{kk inkf/kdkjh

↓

ftyk dk;ZØe inkf/kdkjh

↓

dk;ZØe inkf/kdkjh

↓

iz[kaM f'k{kk inkf/kdkjh

f'k{kk foHkkx dh laLFkk,¡